सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
भोपाल
शुक्रवार, 26 जून, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 294, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

आखिर भारतीय नागरिकता का कानूनी सबूत क्या है?

रुचि भट्टर

विदेश मंत्रालय (MEA) के एक स्पष्टीकरण ने बहस और भ्रम पैदा कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता का कानूनी प्रमाण नहीं है। यह केवल एक आधिकारिक दस्तावेज है जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने और पहचान की पुष्टि करने के लिए जारी किया जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल सामने आया है: आखिर नागरिकता का कानूनी प्रमाण क्या है?

पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर, जो 24 जून को पासपोर्ट अधिनियम 1967 के लागू होने की याद में मनाया जाता है, मंत्रालय ने आधुनिक चिप-आधारित ई-पासपोर्ट की घोषणा भी की। साथ ही यह भी कहा कि अगले सप्ताह दो दिन का मानव संसाधन गतिशीलता मंच आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य कानूनी प्रवासन के रास्तों को उजागर करना और विदेशों में नौकरी तलाश रहे भारतीयों को विदेशी नियोक्ताओं से जोड़ना है।

एमईए का यह बयान तब और अधिक जटिल और विरोधाभासी लगता है जब इसे 20 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से जुड़े सवाल पर सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की विज्ञप्ति के साथ देखा जाए। उसमें कहा गया था, 'नागरिकता को जन्म तिथि और जन्म स्थान से जुड़े किसी भी दस्तावेज के जरिए साबित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे स्वीकार्य दस्तावेज कौन से होंगे, इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है।'

इसके बाद भारतीयों के सामने सवाल खड़ा होता है: कौन सा दस्तावेज भारतीय नागरिकता को अंतिम रूप से साबित कर सकता है? भारतीय नागरिकता किसी एक दस्तावेज से नहीं मिलती और न ही किसी एक दस्तावेज से इसकी पूरी गारंटी होती है। इसका जवाब जानने के लिए हमें भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 की ओर देखना होगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकता कानून के तहत, जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ है, वह जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है। जो व्यक्ति जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ है, वह भारतीय नागरिकता का दावा कर सकता है अगर उसके माता-पिता में से कम से कम एक भारतीय नागरिक है या था। जो व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद पैदा हुआ है, वह जन्म के आधार पर नागरिकता का दावा तभी कर सकता है जब उसके दोनों माता-पिता भारतीय हों, या एक माता-पिता भारतीय नागरिक हो और दूसरा जन्म के समय अवैध प्रवासी न हो।

1955 का अधिनियम स्पष्ट रूप से बताता है कि कोई व्यक्ति पांच अलग-अलग तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है या अपना दर्जा साबित कर सकता है. ये तरीके हैं - जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण (नैचुरलाइजेशन) और किसी क्षेत्र का भारत में शामिल होना। जन्म तिथि के आधार पर कोई व्यक्ति 'जस सोली' (भूमि का अधिकार) के सिद्धांत के तहत नागरिकता का दावा कर सकता है। हालांकि अवैध प्रवासन को रोकने के लिए इस नियम को समय-समय पर सख्त किया गया है।

वंश के आधार पर नागरिकता ('जस सैंग्विनिस' या रक्त का अधिकार) उन लोगों पर लागू होती है जो भारत के बाहर भारतीय माता-पिता के यहां पैदा हुए हैं। उदाहरण के लिए, 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद विदेश में जन्मे बच्चे का जन्म एक वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में दर्ज कराना जरूरी है। पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) या भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले व्यक्तियों को मिल सकती है, यदि वे निर्धारित निवास और आवेदन संबंधी शर्तों को पूरा करते हों।

देशीकरण (नैचुरलाइजेशन) के तहत विदेशी नागरिक, जो निवास संबंधी शर्तें पूरी करते हैं, जैसे भारत में 12 वर्ष तक रहना, और तीसरी अनुसूची में दी गई योग्यताओं को पूरा करते हैं, भारतीय नागरिक बन सकते हैं। अगर कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, तो केंद्र सरकार यह तय करती है कि उस क्षेत्र के किन निवासियों को भारतीय नागरिक माना जाएगा।

कौन से दस्तावेज नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हैं?

आधार कार्ड: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यह भी कहा कि 'दावे और आपत्तियां दाखिल करते समय आधार का उपयोग केवल पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाएगा, भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं।' इसके अलावा, जो भी व्यक्ति आवेदन की तारीख से पहले के 12 महीनों में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक समय भारत में रहा हो, वह आधार कार्ड पाने का पात्र है। इसलिए आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

मतदाता पहचान पत्र: मतदाता पहचान पत्र मुख्य रूप से पहचान और निवास का दस्तावेज है। इसका विशेष उद्देश्य मतदान के अधिकार का उपयोग करना है। नागरिकता साबित करने के लिए इसे लंबे समय से पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना जाता।

पैन कार्ड: मतदाता पहचान पत्र की तरह स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड भी एक वित्तीय और कर संबंधी पहचान दस्तावेज है। इसे आयकर विभाग उन सभी व्यक्तियों या संस्थाओं को जारी करता है जो भारत में कर देते हैं, जिनमें विदेशी नागरिक, अनिवासी व्यक्ति और विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं।

हां, ये सेवाओं का लाभ लेने के लिए पहचान संबंधी दस्तावेज हैं, लेकिन ये नागरिकता अधिनियम 1955 के मूल नियमों को नहीं बदल सकते।

पासपोर्ट क्या करता है?: पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन यह भी भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। तो फिर पासपोर्ट की क्या भूमिका है? भारत में पासपोर्ट केवल पुलिस की कड़ी जांच के बाद जारी किया जाता है। अब सवाल पहचान और नागरिकता के बीच का है। धारा 6(2)(a) के अनुसार यदि आवेदक भारतीय नागरिक नहीं है तो पासपोर्ट देने से इनकार किया जाना चाहिए। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को पासपोर्ट मिला है, तो इसका मतलब है कि भारत सरकार उसकी भारतीय नागरिकता से संतुष्ट है। लेकिन वही व्यक्ति अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पासपोर्ट का उपयोग नहीं कर सकता। यही स्थिति को विरोधाभासी बनाती है।

अब पासपोर्ट नागरिकता का संकेत तो देता है, लेकिन नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाता। अहम बात यह है कि विदेश मंत्रालय और उसके अधीन काम करने वाले पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरणों (पीआईए) के पास भारतीय पासपोर्ट को रद्द करने, जब्त करने या वापस लेने का कानूनी अधिकार है। हालांकि वे ऐसा मनमाने ढंग से नहीं कर सकते। यह अधिकार पूरी तरह पासपोर्ट अधिनियम 1967 के नियमों के तहत नियंत्रित होता है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

इतना बड़ा हाथी निकल गया
और पूँछ अटक गई!
बकायदा विशेष जाँच दल गठित किया गया
जड़ तक इसकी तहक़ीक़ात के लिए
स्पष्ट निर्देश दिया गया कि
तत्काल किया जाए अलग-अलग
अँधेरा-अँधेरा और उजाला-उजाला
जाँच दल की रिपोर्ट आई-
'दरअसल आवश्यकता से इतना अधिक
खा गया था कि पेट फूल गया और हाथी
रोक नहीं पाया डकार
डकार इतनी विस्फोटक थी
कि पूरीतरह भरभराकर ढह गई
सुरक्षा इंतेजाम की दीवारें तमाम
बस, यही वजह थी कि दबकर
अटक गई
हाथी की पूँछ!'

- वसंत सकरगाए

विनाशकारी भूकंप से वेनेजुएला में मची तबाही

● अब तक 164 मौतों ,971 घायल ● 1,00,000 मौतों की आशंका, आपातकाल घोषित ● वेनेजुएला में भूकंप के समय ज्यादातर लोग घरों में थे, आजादी की लड़ाई की सालगिरह पर दफ्तर-स्कूल बंद थे

कराकस (एजेंसी)। वेनेजुएला में दो ताकतवर भूकंप से तबाही मच गई है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6.04 बजे 7.2 और 6.05 बजे 7.5 तीव्रता के दो झटके आए। उस समय भारत में गुरुवार तड़के 3.34 और 3.35 बजे थे। मीडिया सूत्रों के मुताबिक अब तक 164 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 971 घायल हैं।

ये भूकंप ऐसे दिन आए, जब पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश था। 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल और दफ्तर बंद थे। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे।

अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, भूकंप से 10 हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44 प्रतिशत आशंका है।

नेपाल में सुबह-सुबह कांपी धरती

3.8 तीव्रता के भूकंप से हड़कंप, जापान में भी तेज झटकों के बाद अलर्ट– नेपाल में गुरुवार सुबह हल्का भूकंप महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.8 दर्ज की गई। यह झटका सुबह 5 :21 बजे आया और इसकी गहराई करीब 25 किलोमीटर थी।

● **पीएम मोदी ने विनाशकारी भूकंप पर जताया दुख, मदद का दिया भरोसा, वेनेजुएला ने मोदी को मदद के लिए कहा धन्यवाद–** पीएम मोदी ने वेनेजुएला में आए महाविनाशकारी भूकंप पर दुख जताता है और कहा है कि

भारत हर संभव मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से मैं वेनेजुएला सरकार से दुख व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से व्यक्त संवेदना और सहायता के आश्वासन परवेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने स्वागत किया।

बुजुर्गों और असहाय लोगों का आदर करना हमारा धर्म : मुख्यमंत्री

निर्धन परिवार, वृद्धजन और दिव्यांग साथी स्वयं को बेसहारा न समझें

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि घर में बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद होना, तपती धूप में ठंडी छांव के समान होता है। हमारी संस्कृति में बुजुर्गों, असहायों और समाज के सबसे कमजोर वर्ग को आदर देना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि हमारा धर्म माना गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी कोशिश है कि राज्य का कोई भी निर्धन परिवार, माताएं, बहनें या हमारे दिव्यांग साथी स्वयं को बेसहारा न समझें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अंत्योदय का संकल्प सिद्ध हो रहा है। इसी दिशा में राज्य सरकार भी गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के कल्याण में जुटी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक से सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण के लिए मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में यह विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम से विभिन्न जिलों के हितग्राही वर्चुअली जुड़े।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 33 लाख 92 हजार 695 से अधिक भाई-बहनों और बुजुर्गों के खातों में माह मई महीने की 203 करोड़ 56 लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, श्री संजय शुक्ला, श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव श्रीमती सोनाली वायंगणकर कार्यक्रम में उपस्थित थी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन सरकार के स्नेह, सम्मान और सुरक्षा का वचन है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं है, अपितु निर्धन परिवारों, दिव्यांग साथियों में आपके प्रति सरकार का स्नेह, सम्मान और सुरक्षा का वचन है। राज्य सरकार सभी को अपने परिवार का हिस्सा मानती है। सरकार प्रत्येक नागरिक के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष में राज्य सरकार ने किसान हितैषी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा।

भाजपा का यूपी में 'मिशन हैट्रिक'

● 70 फीसदी नए चेहरों के साथ बनाई टीम, पिछड़ों-दलितों और महिलाओं पर खेला दांव

लखनऊ (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुरुवार को अपनी टीम की घोषणा की। लंबे समय से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, संगठन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गहन मंथन के बाद चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की घोषणा की। नई लिस्ट में 19 उपाध्यक्ष और आठ महामंत्री हैं।

लंबी प्रतीक्षा, भारी फेरबदल और कांट छांट के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की हरी झंडी मिलने के बाद पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी। इसमें युवा चेहरों और अनुवभी नेताओं को मौका दिया गया है। भाजपा उत्तर प्रदेश ने गुरुवार को नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों की सूची जारी की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को उपाध्यक्ष बनाया

प्रदेश संगठन में कई नए चेहरों को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। छह क्षेत्रों के लिए नए क्षेत्रीय अध्यक्षों की भी घोषणा हुई। पश्चिम क्षेत्र की कमान नबाब सिंह नागर और अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी अवधेश द्विवेदी को मिली। दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता, मनीष दीक्षित को मीडिया संयोजक बनाया गया। युवा मोर्चा की कमान रोहित मिश्रा और महिला मोर्चा की जिम्मेदारी सरोज कुशवाह को सौंपी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। राजनाथ के बड़े बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं।

कोलकाता में बारिश से सड़कें डूबीं, जगह-जगह ट्रैफिक जाम

● दिल्ली-एनसीआर में आंधी-बारिश से पेड़ गिरने, टेंट-शेड उड़ने का खतरा, गोवा में टूरिस्ट समुद्र में बहा

नईदिल्ली/भोपाल/जयपुर/लखनऊ/पटना (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गुरुवार दोपहर को मूसलाधार बारिश हुई। करीब दो घंटे की तेज बारिश से शहर की कई प्रमुख सड़कें डूब गईं। कोलकाता और साल्ट लेक के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया।

भारी बारिश के कारण तारातला में ढहे गोदाम पर चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन भी प्रभावित हुआ है। बुधवार को हुए हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। अब तक मलबे से 30 लोगों को निकाला गया है। कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हैं।

मानसून सत्र के बीच महाराष्ट्र में एसवीए को लगा तगड़ा झटका, उद्धव ठाकरे की मीटिंग से 23 विधायक नदारद

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के बीच महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने बुधवार को मुंबई में अपने विधायकों की एक खास बैठक बुलाई। गठबंधन की तीनों पार्टियों के कुल 60 विधायकों में से सिर्फ 37 के शामिल होने से राज्य की राजनीति में नई अटकलें शुरू हो गई हैं।

पीएम मोदी के बाद अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह मुलाकात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल की अटकलों के बीच हुई है।

'ले फिर आ गए', मुहर्रम जुलूस में क्रेन पर लटकाई वैन और विस्फोट कर उड़ा दिया

● मप्र उज्जैन पुलिस का एक्शन शुरू, 4 पर मामला दर्ज

उज्जैन (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। मोहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से एक वैन को लटकाकर उसमें ब्लास्ट किया गया है। वीडियो बड़नगर के अडान मोहल्ले का बताया जा रहा है। इसके बाद उज्जैन पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है।

23 जून का है वीडियो– घटना 23 जून की रात की बताई जा रही है। उज्जैन के बड़नगर स्थित अडान मोहल्ले से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे।

जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया। वैन पर दो युवक खड़े होकर लाल झंडे लहराते रहे। इसके बाद वैन में विस्फोट कर उसे उड़ा दिया गया।

ले फिर आ गए

वहीं, जिस वैन में ब्लास्ट किया गया, उस पर 'ले फिर आ गए' लिखा था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और गुरुवार शाम तक कार्रवाई की जाएगी। बड़नगर की यह घटना है जहां एक गाड़ी क्रेन से लटकी हुई है, जिसमें विस्फोट किया गया है। इसमें आरोपी शोएब हैस जिसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 26 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर जमीन घोटाले के सबूत एसआईटी को दिए

एसआईटी अध्यक्ष को 11 सबूत सौंपे

अयोध्या (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लखनऊ में एसआईटी अध्यक्ष के ऑफिस पहुंचे। वहां राम मंदिर जमीन घोटाले के सबूत देने का दावा किया। अयोध्या राम मंदिर

चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को आप सांसद संजय सिंह ने जमीन घोटाले से जुड़े सबूत दिए। संजय सिंह गुरुवार सुबह 11 बजे लखनऊ में एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत के ऑफिस पहुंचे। वे करीब 12 मिनट कमरे में रुके। संजय सिंह ने बाहर आकर कहा- राम मंदिर में जमीन घोटाले के 11 कागजात मैंने एसआईटी को सौंपे हैं। उन्होंने कहा- एक-एक कर सब सामने आ रहा है। पैसे की बरामदगी हो चुकी है, चढ़ावे में चोरी के तमाम साक्ष्य मिल चुके हैं।

दिल्ली-मथुरा रेल सेक्शन पर हाई अलर्ट

● स्टेशनों और ट्रेनों में अचानक जांच से मचा हड़कंप

नईदिल्ली/फरीदाबाद (एजेंसी)। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के संयुक्त आपरेशन के तहत दिल्ली से मथुरा के बीच सुरक्षा चौकसी को बढ़ाया गया है। आरपीएफ महानिदेशक सोनाली मिश्रा के निर्देश पर विशेष सुरक्षा चौकसी अभियान के तहत

सेक्शन के बीच रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है।

बुधवार और बृहस्पतिवार को चेकिंग के तहत ओल्ड रेलवे स्टेशन परिसर, बल्लभगढ़, असावटी, पलवल स्टेशन परिसर पर डॉग स्क्वायड टीम के सदस्य शेरा के साथ यात्री सामानों, डस्टबीन, ट्रेनों में तलाशी ली गई। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि पिछले दिनों जीआरपी के अंबाला हेडक्वार्टर से भी सुरक्षा चौकसी को बढ़ाने के लिए अलर्ट आया था।

रांची में पासिंग आउट परेड

सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में 440 पुलिस अफसरों और जवानों ने ली शपथ

रांची (एजेंसी)। रांची के डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में गुरुवार को बुनियादी प्रशिक्षुओं के लिए लिए पारण परेड समारोह-2026 का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में नव प्रशिक्षित चार डीएसपी व 336 जवानों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। इनमें महिला प्रशिक्षु सिपाहियों की संख्या 81 व पुरुष सिपाहियों की संख्या 255 थी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सभी 440 पुलिस अधिकारियों-जवानों का हौसला बढ़ाया।

पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त के बाद एक और खुशखबरी

'कृषि आदान अनुदान सहायता योजना' अंतर्गत सरकार देगी 22,500 रुपए

नई दिल्ली (एजेंसी)। मौसम के बिगड़ने से या फिर किसी प्राकृतिक आपदा आने की वजह से देश के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, और जब बात मुआवजे की आती है तो किसानों को ऑफिसों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं।

लेकिन किसानों की इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार एक नई योजना लाई है जिसका नाम है कृषि आदान अनुदान सहायता योजना, जो किसानों को फिर से खेती शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। इस योजना का मकसद है कि जिन किसानों का सूखा, ओलावृष्टि या फिर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हुआ है, उन्हें फिर सी फसल लगाने में मदद मिल सके।

इन किसानों को मिलेगा फायदा

इस योजना का फायदा उन किसानों को मिल सकता है, जिनकी खड़ी फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से 33 प्रतिशत या उससे ज्यादा बर्बाद हो गई हो। सरकार का मकसद है कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिले जिनका असल में नुकसान हुआ है।

कितना मिल सकता है मुआवजा ?

सरकार की तरफ से एसडीआरएफ के नियमों के हिसाब से ही मुआवजा तय किया जाएगा। इसलिए अलग-अलग किसानों के लिए मुआवजे की रकम भी अलग हो सकती है। बारिश की वजह से खराब हुई फसलों के लिए रू.8500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए 17000 प्रति हेक्टेयर और बारहमासी फसलों के लिए मुआवजे की रकम 22500 प्रति हेक्टेर है।

किसानों यहां करना होगा अप्लाई

इस योजना की सबसे अच्छा बात ये है कि किसानों को कहीं भी अलग से रजिस्टर या फिर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। प्रभावित किसानों की अपने आप संबंधित पटवारी या फिर डीएमआईए पोर्टल पर डाल दी जाएगी। खरीफ फसलों का डेटा मार्च 31 तक और रबी फसलों का डेटा 30 सितंबर तक अपलोड कर दिया जाएगा। वहीं अलग इस प्रोसेस में कोई किसान रह जाता है तो वो राज गिरदावरी ऐप के जरिए भी अपने नुकसान की सूचना दे सकता है।

राजस्थान सरकार ने किया ऐलान

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने इस योजना का ऐलान किया है। क्योंकि राजस्थान में किसान हमेशा मॉनसून के भरोसे रहते हैं, ऐसे में खराब मौसम उनकी फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।

केंद्र सरकार ने 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया

नईदिल्ली (एजेंसी)। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे-कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है, जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। सड़क से लेकर संसद तक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी पीएम मोदी को 'तानाशाह' बताया तो कभी

अपने भाषण में 'संविधान खतरे में है' के नारे लगाए। राहुल गांधी ने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने संविधान को बचा लिया है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल संविधान बचाओ के नारे से बीजेपी पर लगातार तीखे हमले कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देते हुए बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया गया है।

सरकार के फैसले से भड़की कांग्रेस

सरकार के इस फैसले का एक तरफ एनडीए के नेता स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी के नेता आलोचना कर रहे हैं। 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस नेता विवेक तन्खा, पवन खेड़ा और प्रमोद तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा कि मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, जब भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई कि 25 जून को हर साल देश भर में इमरजेंसी का रिमेंबरेंस डे मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1975 की घटना को उठाना, भाजपा की हताशा को दर्शाता है। हताशा के कारण ये 50 साल पुराने मुद्दे को उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा को पिछले महीने की चार तारीख को 440 वोल्ट का एक ऐसा करंट लगा था कि 400 का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए। उनका संविधान बदलने का सपना चूर-चूर हो गया। लेकिन अब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब संविधान के नारों से संसद गूंज उठा, तो अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है।

एनसीईआरटी के सिलेबस में 1975-1977 इमरजेंसी सेक्शन शामिल

कक्षा 9वीं को पढ़ाया जाएगा

एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में 1975-77 की इमरजेंसी को शामिल किया है। नई किताब 'अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी : इंडिया एंड बियॉन्ड' में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है।

सरकार ने कहा

पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं

कांग्रेस ने पूछा- फिर नागरिकता का सबूत क्या है

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। 14वीं पासपोर्ट सेवा दिवस सरकार ने कहा कि पासपोर्ट केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए जारी किया जाता है।

इससे पहले एसआईआर से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं।

तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता का सबूत है सरकार बताए: कपिल सब्बिल

सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं। तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता का सबूत है। वहीं, गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने पूछा कि जब पासपोर्ट को नागरिकता का 100 प्रतिशत अकेला और अंतिम सबूत नहीं माना जाता, तो ऐसा कानून क्यों लाया जा रहा है।

भोपाल के 10 लेन सड़क प्रोजेक्ट से अतिक्रमण हटाया

12 पक्के निर्माण तोड़े, बरखेड़ा नाथू, कलखेड़ा-बिलखिरिया में भी कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। भोपाल के 10 लेन सड़क प्रोजेक्ट में आड़े आ रहे पक्के निर्माणों पर गुरुवार को जेसीबी चली। करीब 12 पक्के निर्माण तोड़े गए। वहीं, बरखेड़ा नाथू, कलखेड़ा और बिलखिरिया में अवैध कॉलोनियों को लेकर भी कार्रवाई हुई।

हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की टीम के साथ ग्राम बिलखरिया कलां में सड़क अधिग्रहण में आने वाले अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई से पहले संबंधितों को नोटिस दिए गए थे। गुरुवार को टीम मौके पर पहुंची और करीब 12 निर्माण हटाए गए।

तीन कॉलोनियों पर कार्रवाई

हुजूर अनुभाग क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। 10 दिन के भीतर चार बड़ी कार्रवाई की गई, जबकि पांचवीं कार्रवाई गुरुवार को हुई। एसडीएम सोनकिया ने बताया कि बिलखिरिया, बरखेड़ा नाथू और कलखेड़ा में टीम ने पहुंचकर कार्रवाई की। हुजूर अनुभाग में बिना अनुमति के डेवलप हो रही कॉलोनियों में भी कार्रवाई की गई। यहां पर बिना अनुमति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसके चलते सड़क, बाउंड्रीवॉल तोड़ दिए गए। संबंधित कॉलोनाइजरों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे आगे से बिना अनुमति के कॉलोनी डेवलप न करें। वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विधायक निर्मला सप्रे मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका

दल-बदल याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने की खारिज

जबलपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द कराने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने साफ कहा है कि इस मामले में फिलहाल कोर्ट की तरफ से कोई भी आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) खुद इस मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच कर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला और क्यों कोर्ट पहुंची थी कांग्रेस?- दरअसल, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई 2024 को सागर के राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंच पर बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे अचानक पहुंच गई थीं। वहां उन्होंने भाजपा का दामन थामने का ऐलान किया था।

इसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष दल-बदल कानून (Anti-Defection Law) के तहत निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने के लिए आवेदन दिया था। कांग्रेस का आरोप था

कि निर्धारित 90 दिनों के भीतर स्पीकर द्वारा कोई ठोस कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई, जिसके चलते उन्हें न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। याचिका में मांग की गई थी कि निर्मला सप्रे का निर्वाचन तत्काल शून्य घोषित किया जाए।

विधायक निर्मला सप्रे ने दिया बयान, मैं बीजेपी में शामिल ही नहीं हुई- हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बीना विधायक निर्मला सप्रे की तरफ से पेश किए गए जवाब ने सबको चौंका दिया। दल-बदल के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए निर्मला सप्रे के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि, निर्मला सप्रे ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन वह आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल नहीं हुई हैं। उन्हें बिना किसी ठोस वजह के विधानसभा स्पीकर के सामने चल रही कार्यवाही और इस याचिका में घसीटा जा रहा है।

हाईकोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका

जबलपुर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने दोनों पक्षों के साथ-साथ सरकार का पक्ष भी सुना। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि, विधानसभा अध्यक्ष कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए नेता प्रतिपक्ष के आवेदन की जांच कर रहे हैं। इस मामले से जुड़े संबंधित पक्षों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल अभी दो साल से अधिक का बचा हुआ है। ऐसे में कोई ऐसी असाधारण या विषम परिस्थिति नहीं है कि कोर्ट विधानसभा स्पीकर को समयसीमा तय कर जल्द फैसला सुनाने का आदेश जारी करे।

बाघों को बचाने के लिए उठाए जाएंगे कुत्ते !

कान्हा में 9 बाघों की मौत के बाद हाईकोर्ट सख्त, बफर जोन से कुत्तों को क्वारंटीन के आदेश

भोपाल (नप्र)। एमपी के 'कान्हा टाइगर रिजर्व' में लगातार हो रही 'बाघों की मौतों' को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बाघों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीडब्ल्यू) की रोकथाम के लिए प्रभावी निवारक और उपचारात्मक कदम उठाए जाएं।

हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकारों को निर्देश दिया कि कान्हा टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में मौजूद कुत्तों को क्वारंटीन करने सहित आवश्यक

जैव-सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। कोर्ट ने आदेशों के पालन की स्थिति बताने वाली स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

दरअसल, मुंबई निवासी अधिवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि वन्यजीव संरक्षण से जुड़े निर्धारित प्रोटोकॉल, रोग निगरानी, पशु चिकित्सा सेवाओं और जैव-सुरक्षा उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किया गया। याचिका में मांग की गई कि बाघों की सुरक्षा और रोग नियंत्रण के लिए तय दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

सुब्रज चक्रवर्ती ने बाघों की मौत पर गंभीर सवाल उठाए- याचिका में बताया गया है कि कान्हा टाइगर रिजर्व में हाल के महीनों में बाघों की मौतों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। अप्रैल में बाघिन सुनैना, बाघिन अमाही और उसके चार अर्ध-वयस्क शावकों की मौत हो गई थी। इसके बाद मई में युवा नर बाघ महावीर की भी मृत्यु हुई। इन मौतों के पीछे कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की आशंका जताई गई है। इसके अलावा दो अन्य वयस्क नर बाघ भी मृत पाए गए। याचिकाकर्ता के अनुसार, एक महीने के भीतर आठ बाघों की मौत ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

लखनऊ हादसे के बाद जागी भोपाल नगर निगम

एमपी नगर और न्यू मार्केट सहित कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी, 49 को नोटिस

भोपाल (नप्र)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद भोपाल नगर निगम पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। नगर निगम के फायर विभाग ने पूरे शहर में एक व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया है। इस कड़े निरीक्षण के बाद बीएमसी ने नियमों का उल्लंघन करने पर गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हमीदिया अस्पताल, तुलसी टावर और कान्हा टावर जैसी 10 हाई-राइज इमारतों और 39 कोचिंग संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई एमपी नगर, पिपलानी, न्यू मार्केट और बैरागढ़ जैसे व्यस्त इलाकों में की गई।

मरीजों और छात्रों की सुरक्षा भगवान भरोसे

बीएमसी के फायर सेफ्टी इन-चार्ज सौरभ पटेल के मुताबिक, हमीदिया अस्पताल के बाकी हिस्सों में सुरक्षा इंतजाम बेहद खराब पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में अगर अस्पताल में कभी आग लगती है, तो गंभीर रूप से भर्ती मरीजों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना डॉक्टरों और स्टाफ के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अस्पताल प्रबंधन को सख्त चेतावनी के साथ नोटिस भेजा गया है। प्रशासन का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर लोगों की जान जोखिम में डालने वाली इन इमारतों पर आगे भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

जांच में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

नगर निगम के फायर विभाग की इस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद डरावने हैं। पूरे शहर में अब तक करीब 80 कोचिंग संस्थानों और कई बहुमंजिला इमारतों का बारीकी से निरीक्षण किया गया है। इनमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा जगहों पर या तो आग से निपटने के इंतजाम पूरी तरह नदारद मिले या फिर जो सिस्टम लगे थे, वे काम नहीं कर रहे थे।

प्रदेश में बारिश का लंबा दौर शुरू अगले 120 घंटे भारी झमाझम

60 की स्पीड से तूफान और मूसलाधार बारिश का अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार मजबूत हो रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा दर्ज की गई, जबकि कई जिलों में अच्छी बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण आगामी दिनों में वर्षा गतिविधियां और बढ़ सकती हैं।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक वर्तमान में प्रदेश के आसपास चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ लाइन सक्रिय है। इसके प्रभाव से पूर्वी, मध्य और दक्षिणी मध्यप्रदेश के जिलों में बारिश की तीव्रता अधिक रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बौछारें और 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

इन इलाकों पर रहेगा ज्यादा असर- विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर और सागर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में भी रुक-रुक कर तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। कहीं-कहीं भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है।

पूरे प्रदेश में तापमान में आई गिरावट- लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है।

मानसून की पहली बारिश किसानों के लिए राहत- मानसूनी बारिश खरीफ सीजन की फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने और मौसम की स्थिति को देखते हुए कृषि कार्य करने की सलाह दी है।

शाजापुर में बिजली गिरने से एक की मौत, इंदौर में गिरा पानी, 46 जिलों में अलर्ट

मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां तेज होने लगी हैं। शाजापुर जिले के ग्राम बेसरापुर के जंगल में गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। उसकी पहचान आत्माराम मालवीय (64) के रूप में हुई। वहीं इंदौर में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 46 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है।शाजापुर में दोपहर के समय गरज-चमक के साथ तेज बारिश हुई। सड़कों पर पानी भरने से कई जगह ट्रैफिक जाम जैसे हालात बने। बालाघाट में भी दोपहर बाद तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के बाकी हिस्सों को अगले 2 से 3 दिन में मानसून कवर कर लेगा।इससे पहले बुधवार को प्रदेश के 15 जिलों में मानसून ने दस्तक दी थी। छिंदवाड़ा समेत सीमावर्ती जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई अच्छी बारिश और दक्षिण-पश्चिम से आ रही नमी वाली मानसूनी हवाओं के आधार पर इसकी आधिकारिक घोषणा की गई।

एमपी ट्रांसको ने लॉन्च किया वेंडर-फ्रेंडली पोर्टल

बिल से लेकर भुगतान तक की रियल-टाइम ट्रैकिंग होगी संभव : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल (नप्र)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि डिजिटल इंडिया अभियान में प्रदेश के ऊर्जा विभाग की भागीदारी को और आगे बढाते हुए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत कंपनी के वेंडर्स और कांट्रेक्टर्स की पारदर्शिता के लिए अत्याधुनिक वेंडर-फ्रेंडली पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से वेंडर्स और कांट्रेक्टर्स अपने बिलों की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन और रियल-टाइम में ट्रैक कर सकेंगे।

श्री तोमर ने बताया कि वर्तमान में कार्यरत वेंडर्स एवं कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए वर्ष 2022 से इंटरनेट आधारित वेंडर्स पोर्टल संचालित है। इस व्यवस्था के तहत कॉन्ट्रैक्ट्स एवं वेंडर्स अपने देयक, आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्रस्तुत करते हैं तथा उनके बिलों की जांच, स्वीकृति, भुगतान एवं अन्य समस्त प्रक्रियाएं पूर्णतः डिजिटल माध्यम से संपादित की जाती हैं। पोर्टल के जरिए बिलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से स्वतः प्राप्त होती रहती है। साथ ही वे किसी भी समय लॉग-इन कर अपने देयकों एवं भुगतान की अद्यतन स्थिति देख सकते हैं।

बढ़ेगी पारदर्शिता

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस डिजिटल व्यवस्था के पूर्ण रूप से लागू होने पर वेंडर्स, कांट्रेक्टर्स एवं अधिकारियों के समय की बचत होगी, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा देयक निपटान प्रक्रिया अधिक सरल, त्वरित एवं प्रभावी बन सकेगी।

सुविधा का किया जा रहा है विस्तार

एमपी ट्रांसको के संयुक्त निदेशक श्री विकास श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि कंपनी ने इस सुविधा का विस्तार करते हुए टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स से जुड़े वेंडर्स और कांट्रेक्टर्स के लिए भी इंटरनेट आधारित वेब पोर्टल प्रारंभ की है। इसके माध्यम से वेंडर्स अपने मोबाइल, टैबलेट अथवा कंप्यूटर से कहीं से भी लॉग-इन कर संबंधित कार्यालय में ऑनलाइन देयक प्रस्तुत कर सकेंगे। पोर्टल की विशेषता यह रहेगी कि वेंडर्स और कांट्रेक्टर्स अपने बिलों की प्रोसेसिंग की प्रत्येक अवस्था की जानकारी रियल-टाइम में प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र प्रहरियों को किया नमन

- 25 जून 1975 को बताया देश में लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल की विभीषिका के विरूद्ध डटकर खड़े होने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि 25 जून, 1975 देश में लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन था। आज के दिन ही 1975 में इंदिरा सरकार के अहंकार के परिणामस्वरूप देश में आपातकाल लगाया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदैव समर्पित होकर देश की सेवा का संकल्प लेने का प्रदेशवासियों से आव्हान किया।

मप्र के कर्मचारियों को 300 ईएल का मिलेगा पैसा

रिटायरमेंट से पहले खुद कैलकुलेट कर सकेंगे रकम सरकार ने बताया कैलकुलेशन फॉर्मूला

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट राशि को लेकर आदेश जारी किया है। अब कर्मचारी रिटायरमेंट या ड्यूटी के दौरान मौत की स्थिति में मिलने वाली छुट्टी लीव इनकैशमेंट राशि का अनुमान खुद लगा सकेंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों, कार्यालयों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश (ईएल) का नकदीकरण लाभ दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी के खाते में 300 दिनों से अधिक ईएल मौजूद है, तब भी भुगतान केवल 300 दिनों तक ही सीमित रहेगा। वित्त विभाग ने कहा- कोई कर्मचारी पहले किसी अवसर पर ईएल इनकैशमेंट का लाभ ले चुका है, तो जितने दिनों का लाभ पहले लिया गया है, उसे 300 दिनों की अधिकतम सीमा में से घटा दिया जाएगा। कर्मचारी को कुल मिलाकर 300 दिनों से अधिक ईएल इनकैशमेंट का लाभ नहीं मिल सकेगा। सरकार के फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से अवकाश नकदीकरण की गणना को लेकर अलग-अलग विभागों में भ्रम और विवाद की स्थिति बनती रही है। नए निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में एक समान प्रक्रिया लागू होगी।

कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?

- नए आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों को कई तरह के लाभ मिलने की उम्मीद है।
- कर्मचारी पहले से अपनी संभावित लीव इनकैशमेंट राशि का अनुमान लगा सकेंगे।
- विभागों में गणना को लेकर होने वाली गलतियों में कमी आएगी।
- भुगतान संबंधी विवाद कम होंगे।
- सभी विभागों में एक समान नियम और प्रक्रिया लागू होगी।
- रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों की पारदर्शिता बढ़ेगी।

ईएल इनकैशमेंट पर पारदर्शी लाना

राज्य सरकार का कहना है कि इस आदेश का मुख्य उद्देश्य अर्जित अवकाश नकदीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और एकरूप बनाना है। अलग-अलग विभागों में अपनाई जा रही अलग-अलग प्रक्रियाओं के कारण कई बार कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब वित्त विभाग के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बाद सभी विभागों में एक जैसी व्यवस्था लागू होगी।

अर्जित अवकाश का रिकॉर्ड रखने के निर्देश

वित्त विभाग के आदेश में सभी विभागों को यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अवकाश नकदीकरण की गणना निर्धारित नियमों के अनुसार ही की जाएगी। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों के अर्जित अवकाश का रिकॉर्ड सही तरीके से रखा जाए। भुगतान के समय एक समान प्रक्रिया अपनाई जाए। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी को भुगतान में देरी न हो और गणना में गलतियां न हों।

विकसित भारत के निर्माण में युवाओं को मिले अधिक से अधिक अवसर : राज्यपाल

विद्यार्थियों में कौशल, योग और सामाजिक सरोकार करें विकसित

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकसित भारत@2047 की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिये सभी वर्गों से सतत् विचार-विमर्श करते रहे है जिसमें युवा भी शामिल है। विश्वविद्यालयों का दायित्व है कि विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण के जज्बे को और अधिक सुदृढ़ करने में अपना सक्रिय योगदान दें। राज्यपाल श्री पटेल गुरूवार को लोकभवन में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 102वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के संचालन एवं समन्वय संबंधी विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई।

राज्यपाल श्री पटेल ने विश्वविद्यालयों

को सेवायोजित पूर्व विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में प्लेसमेंट सम्मेलन आयोजित करने की सलाह दी है। प्लेसमेंट सम्मेलन में वर्तमान छात्र-छात्राओं को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलेगा। विश्वविद्यालय का गौरव भी बढ़ेगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व के लगभग 200 देशों में किये गये योगाभ्यास से योग की वैश्विक स्वीकार्यता का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को योग को नियमित गतिविधियों को मासिक साप्ताहिक आयोजन के क्रम में शुरू करना चाहिए। इसकी शुरुआत छात्रावासों से की जा सकती है। उन्होंने रोजगारोन्मुखी प्रमाण-पत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को गरीब एवं वंचित परिवारों की आत्मनिर्भरता में व्यवहारिक पहल बताया। कृषि संबद्ध विभिन्न कार्यों के लिए भी प्रमाणन व्यवस्था विकसित किए जाने पर बल दिया।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के विश्वास के साथ उन्हें विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने भेजते हैं। इस विश्वास को बनाये रखना कुलगुरुओं और प्राध्यापकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल के साथ सामाजिक संवेदनशीलता से भी जोड़ना जरूरी है। विश्वविद्यालय गाँव को गोद लेकर ग्रामीणों के साथ संवाद और विकास गतिविधियों में विद्यार्थियों को सहभागी बनाएं। पिछड़े समुदायों एवं क्षेत्रों के विकास की अभूतपूर्व योजना पीएम-जनमन, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विद्यार्थियों को भी जोड़े। महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन छात्रों को गाँवों का भ्रमण करवाएं। इससे प्राप्त अनुभव विद्यार्थियों को भावी जीवन में वंचित और गरीब वर्गों के प्रति संवेदनशील बनाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने विश्वविद्यालयों द्वारा वित्तीय प्रबंधन को व्यवस्थित करने पर विशेष बल दिया।

आपदा में बचाव पर ब्रेल लिपि में प्रकाशित पुस्तक का किया लोकार्पण

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नि:शक्तजन के लिए आग, हीटवेब (लू) और आकाशीय बिजली से बचाव के संबंध में ब्रेललिपि में प्रकाशित पुस्तक का गुरूवार को मंत्रालय में लोकार्पण किया। पुस्तक का मुद्रण आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल द्वारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से कराया गया है।

प्रभारी मंत्री ने मकरोनिया में देखा अमृत 2.0 का काम

● 2 एकड़ ज़ोन में 1,000 पौधों के रोपण के साथ वृहद पर्यावरण अभियान शुरू ● एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रभारी मंत्री ने रोपा नारियल का पौधा

भोपाल। मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में आज मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत हुई। उन्होंने यह नारियल का पौधा रोपकर वृहद पौधारोपण की शुरुआत की। नरयावली विधायक इंजी. प्रदीप लारिया के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अमृत 2.0 योजना के कार्यों का मूल्यांकन करने के साथ ही, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से एक पेड़ माँ के नाम वृहद पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सांसद श्रीमती लता वानखेड़े, जिला अध्यक्ष श्री श्याम तिवारी, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि , प्रशासनिक अधिकारी और जन समुदाय विशेष रूप से उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मकरोनिया क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास की सराहना की। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित अमृत योजना को स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों ने बखूबी धरातल पर उतारा है। क्षेत्र के निरंतर 4 बार के विधायक ने जनता के दिलों में स्थान बनाकर विकास को प्राथमिकता दी है।

पुराने कुओं, बावड़ियों और पारंपरिक जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक है। वर्षा जल को सहेजकर जमीन के भीतर पहुंचाना और वाटर टेबल (भूजल स्तर) को बनाए रखना हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी है।

वर्षा के जल का संचय करना और उसे वापस भूमि में पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ी के प्रति यह हमारी जिम्मेदारी भी है। सांसद श्रीमती लता वानखेड़े ने मकरोनिया क्षेत्र में तेज गति से हो रहे विकास कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने यहां बन रहे भव्य रविदास मंदिर निर्माण, शबरी जलाशय के सुंदरीकरण और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु स्थानीय विधायक, प्रशासनिक और जनभागीदारी के प्रयासों की सराहना की। विधायक श्री प्रदीप लारिया ने क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी दी और कहा कि क्षेत्र में लगातार तीव्र गति से विकास हो रहा है। आज यहां करीब रू. 1.60 करोड़ की लागत से शबरी जलाशय/सरोवर का उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही रू. 72 लाख की लागत से शबरी पार्क का निर्माण भी जारी है, जिसे एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है।

संपादकीय

अब सॉल्वर गैंग पर शिकंजा

एनटीए द्वारा मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित री नीट परीक्षा में कड़े सुरक्षा इंतजामों के कारण इस बार पेपर तो लीक नहीं हुआ, लेकिन परीक्षा माफिया ने सॉल्वरों की गैंग उतार कर इस परीक्षा की पवित्रता पर फिर सवालिया निशान जड़ दिया है। इन सॉल्वरों ने परीक्षा में प्रवेश की बायो मेट्रिक प्रणाली को भी धता कर बताकर परीक्षा दे डाली। इसका सीधा मतलब है कि यदि एनटीए डाल डाल है तो माफिया पात पात है। पेपर सॉल्वर वो विद्यार्थी ही होते हैं, जो पैसे लेकिन किसी भी परीक्षा में उत्तर लिखते हैं। लेकिन जो पास होता है, वो कोई दूसरा ही होता है। सबसे हैरानी की बात है कि बिहार में यह सॉल्वर सिंडीकेट मेडिकल में पढ़ एमबीबीएस छात्र ही चला रहे थे। जब इनमें से कुछ सॉल्वर पुलिस की पकड़ में आए तो ये राज खुला। बताया जाता है कि इस सॉल्वर सिंडिकेट का सरगना मुजफ्फरपुर का अर्पित यादव है। उसने कोटा में पढ़ाई के दौरान तीन दोस्तों के साथ मिलकर गिरोह बनाया था। जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक री-नीट-यूजी 2026 में बिहार में करीब 200 फर्जी परीक्षार्थियों के बैठाने की प्लानिंग थी। ये मेडिकल स्टूडेंट्स 8 राज्यों से बिहार बुलाए गए। जिनकी जगह पर पेपर देना था, उन कैंडिडेट्स से करीब 50 करोड़ रुपए तक की डील हुई। औसतन हर कैंडिडेट से 40 लाख रुपए लेने थे। ये चौंकाने वाले तथ्य लोकल पुलिस, EOU और अन्य जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आए हैं। जैसे कि अर्पित ने राजस्थान के कोटा में सॉल्वर गैंग शुरू की थी। वह मेडिकल की तैयारी करने गया था। कोचिंग में उसकी दोस्ती मयंक कुमार, उर्फ अश्विनी कुमार, रंजीत कुमार और रवि शंकर से हुई। चारों ने मिलकर फर्जी परीक्षार्थी बैठाने का खेल शुरू किया। अपने गिरोह से कोटा में कई कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों को जोड़ लिया। खुद मेडिकल की तैयारी करने और बाद में MBBS के छात्र होने के चलते इन्हें आसानी से सॉल्वर मिल गए। री-नीट फर्जीवाड़े की जांच आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) और पुलिस कर रही है। सूत्रों के अनुसार सॉल्वर गैंग ने बिहार में करीब 200 फर्जी परीक्षार्थियों को बुलाया था। इनमें से 9 परीक्षा के दौरान लखीसराय में पकड़े गए। एक हाजीपुर में पकड़ा गया। मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले कुल 12 छात्र पकड़े गए हैं। अब पता लगाया जा रहा है कि राज्य के 35 शहरों के 331 परीक्षा केंद्रों में कितने फर्जी परीक्षार्थी पहुंचे। इनसे जुड़े असली परीक्षार्थियों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस बायोमेट्रिक जांच का ठेका लेने वाली कंपनी की भी जांच कर रही है कि कहीं कंपनी के बड़े पदों पर बैठे लोगों से डील तो नहीं हुई। जिलास्तर पर जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उनके हर मैनेजर और कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। लखीसराय में 18 बायोमेट्रिक कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। छात्रों के बायोमेट्रिक जांच के लिए लगाए गए कई कर्मी 400 रुपए रोज के भुगतान पर रखे गए थे। सॉल्वर गैंग ने इन्हें प्रति फर्जी परीक्षार्थी 20-20 हजार रुपए दिए। उधर सॉल्वर परीक्षा के दौरान अपने कॉलेजों से गायब रहे। इन्होंने हाल ही में नीट परीक्षा पास की है, इसलिए वो इस परीक्षा के उत्तर देने में सक्षम माने जाते हैं। जाहिर है कि यह सॉल्वर माफिया एनटीए के लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही छात्रों के नैतिक पतन का भी परिचायक है। एमबीबीएस में पढ़ने वाले ये सॉल्वर छात्र आगे चलकर कैसे डॉक्टर बनेंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। इन्होंने जो किया है, उसे भी गंभीर अपराध और देशद्रोह की श्रेणी में माना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एनटीए ही नहीं, देश के साथ भी धोखाधड़ी है।

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

पांच वर्षों में सहकारिता क्रांति से नूतन प्रभात

हमें भारत सरकार व सहकारिता मंत्रालय का विशेष सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्ष में भारत ने जो उन्नति व प्रतिष्ठा देश व विदेश में पाई है, उसकी चर्चा अब पूरे विश्व में हो रही है। सहकारिता के पांच वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय के गठन के ये पाँच वर्ष केवल प्रशासनिक उपलब्धियों के वर्ष नहीं हैं, बल्कि ये भारत के ग्रामीण और वंचित समाज के आत्मविश्वास के पुनर्जागरण के वर्ष हैं। बिखरते और उपेक्षित पड़े सहकारी तंत्र को नीतिगत, कानूनी और तकनीकी संबल देकर उसे देश की मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ बना दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अथक परिश्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ने देश के किसान, मजदूर, मछुआरे और ग्रामीण महिलाओं को देश के विकास का सीधा हिस्सेदार बना दिया। 'सहकार से समृद्धि' का महामंत्र भारत को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करते हुए देश के आर्थिक सपनों को पूरा करने का सबसे विश्वसनीय माध्यम सिद्ध हो रहा है। सामूहिकता की यह पावन अविरल धारा आने वाले समय में भारत के स्वर्णिम कालखंड की सबसे प्रखर गाथा बनने जा रही है।

वस्तुतः भारतीय संस्कृति और दर्शन का मूल तत्व सामूहिकता और परस्पर सहयोग में निहित रहा है। हमारे मनीषियों ने युगों पूर्व ऋग्वेद में संपूर्ण मानवता को एक साथ चलने, संवाद करने और साझा संकल्पों से जुड़ने का संदेश दिया था। उपनिषदों ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की उदात्त भावना प्रदान किया और 'सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु' में इसी सहकार की नींव डाली। प्राचीन काल से ही भारत के ग्रामीण अंचलों में यह जीवन-पद्धति अत्यंत सहज रूप में प्रवाहित होती रही है। संकट के समय जलाशयों का सामूहिक निर्माण हो, वनों का संरक्षण हो, या एक-दूसरे की आर्थिक सहायता के लिए पारंपरिक रूप से विकसित लोक-परंपराएँ हों, भारत के मानस में रचे-बसे सहकार के बिंब हैं।

आज जब इस नवगठित मंत्रालय के गौरवमयी पाँच वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो यह अवसर केवल उपलब्धियों के आकलन का नहीं, बल्कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण और अंत्योदय की चेतना के पुनर्जागरण को रेखांकित कर रहा है तो एक सुखद अनुभूति देता है। भारत का सहकारी क्षेत्र आज वैश्विक पटल पर खड़ा है, जिसकी जड़ें देश के अंतिम छोर तक फैली हैं। देश में सहकारिता परिवार स्थापित हुआ है, जो संपूर्ण भारत की आबादी का लगभग पाँचवां हिस्सा माना जा रहा है। देश में प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन कर युवाओं और महिलाओं को आर्थिक संबल सहकारिता ने दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के दूरदर्शी स्वप्न को साकार करने के निमित्त देश के इतिहास में पहली बार एक स्वतंत्र एवं पृथक

सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। इस ऐतिहासिक निर्णय से पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात के दशकों में सहकारी समितियाँ विकास की बहसों में तो रहीं, किंतु वे फाइलों में सीमित व दबी हुई थीं। इस कारण सहकारिता आंदोलन को वह गति, ऊर्जा और नीतिगत स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही थी, जिसकी देश के विशाल जनमानस को ज़रूरी थी। वर्ष 2021 में एक पृथक मंत्रालय की स्थापना से एक नई गतिशीलता आई। यह सबसे अच्छी बात रही कि इस मंत्रालय का दायित्व अमित शाह जैसे सहकारिता क्षेत्र के दूरदर्शी व्यक्तित्व को मिली।

सहकारिता मंत्रालय के संस्थापक केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने इस पारंपरिक और शिथिल पड़ रहे क्षेत्र में जवाबदेही और शुचिता का एक नया प्राण फूंका। उनके दृढ़ संकल्प और कुशल मार्गदर्शन के कारण ही इस अल्प समयावधि में मंत्रालय ने ढेरों ऐतिहासिक पहलें की हैं, जो सहकारिता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुकी हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, जिन्हें हम पैक्स कहते हैं, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली धड़कन हैं। अमित शाह जी ने भली-भांति पहचाना कि यदि आधारभूत स्तर की इन समितियों में आधुनिकता का संचार नहीं हुआ, तो संपूर्ण आंदोलन खोखला कहलाएगा। इस दूरदृष्टि के साथ देश की सभी क्रियाशील पैक्स के सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण का संकल्प लिया गया, जिसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिस्टम इन्टीग्रेटर को ऑनबोर्ड किया जा चुका है और हजारों समितियों के लिए अत्याधुनिक हार्डवेयर की खरीद सुनिश्चित हुई है। उन्हें बहुउद्देशीय स्वरूप दिया जा रहा है, जिससे वे गाँव स्तर पर ही अनाज भंडारण, साझा सेवा केंद्र और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बन रही हैं। सरकार ने हर उस पंचायत में जहाँ ऐसी समितियाँ नहीं थीं, नवगठित बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, डेयरी और मत्स्य समितियों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सहकारी क्षेत्र को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए अनेक पहल कर रहा है। इसी संबंध में, राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय स्तरीय नीति कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति की पहली बैठक विगत दिनों हुई तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के रोडमैप पर विचार-विमर्श हुआ। संस्थागत मजबूती, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा राष्ट्रीय महासंघों, सहकारी संस्थाओं की समन्वित कार्रवाई, डिजिटल परिवर्तन, क्षमता निर्माण, सदस्यता विस्तार तथा सहकारिता आधारित समावेशी और सतत आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देने के पीछे सहकारिता मंत्रालय की अपनी प्रतिबद्धता है और साथ ही देश निर्माण में एकजुटता को प्रदर्शित कर सभी के साथ देश को विकसित राष्ट्र बनाने की मुहिम भी है।

गुजरात के आनंद की पावन भूमि पर रोपा गया 'अमूल' का पौधा अब मिसाल बन चुका है। एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेशभाई शाह के कठिन परिश्रम से अमूल ने श्वेत क्रांति के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के हाथों में आर्थिक स्वतंत्रता सौंपी। वर्तमान में गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ लिमिटेड द्वारा संचालित अमूल का वार्षिक टर्नओवर जादुई आंकड़े को पार कर चुका है और अमूल आज सहकारिता के वैश्विक मंच हस्तक्षेप करने में सक्षम है। देश के हर भूभाग पर सहकारिता का आन्दोलन अपना प्रसार कर रहा है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन अमूल के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था है, जो अपने अत्यंत लोकप्रिय 'नंदिनी' ब्रांड के माध्यम से करोड़ों उपभोक्ताओं के दिलों पर राज कर रही है और ग्रामीण अंचलों में आर्थिक स्थिरता का प्रवाह बनाए हुए है। पिछले 5 वर्षों में सहकारिता बैंकिंग सेवाओं ने भी तेजी से प्रगति की है। 1457 शहरी सहकारी बैंक, 34 राज्य सहकारी बैंक और 352 जिला सहकारी बैंक देशभर में वित्तीय सेवाओं की पहुँच को मजबूत बना रहे हैं। सहकारिता के माध्यम से वित्तीय समावेशन को नई गति जो मिली है, उससे देश के हर कोने तक विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

देश की पहली त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय के सहयोग से नवाचार, अनुसंधान और संस्थागत विकास के नए युग में प्रवेश करने की तैयारी है। सोचिए आने वाले समय में जैसा कि देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि सभी राज्यों में इस विश्वविद्यालय का अपना कैम्पस हो और उसमें नवाचार व अनुसन्धान हों। इस विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित लोग देश निर्माण में हाथ बटाएं तो फिर हमारे विकास को क्या गतिशीलता मिलेगी? निःसंदेह अमित शाह की यह देश निर्माण की प्रक्रिया है। आने वाले वर्षों में सहकारिता मंत्रालय अपने सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए विख्यात होगा।

तीन नेताओं की वजह से इंदिरा गांधी ने लगाया था आपातकाल

आपातकाल/ 26 जून

रामबाबू अग्रवाल

(लेखक इंदौर के समाजवादी नेता मीसाबंदी और लोहिया विचार मंच मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं)

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का कालखंड 'आपातकाल' के नाम से जाना जाता है। यह अवधि भारतीय लोकतंत्र की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक मानी जाती है। आपातकाल की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की थी।

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। इसने दिखाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा कितनी आवश्यक है। वहीं 1977 का चुनाव यह साबित करता है कि लोकतंत्र की असली शक्ति जनता के हाथ में होती है। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए संविधान, संस्थाओं और नागरिक स्वतंत्रताओं का सम्मान आवश्यक है।

'आपातकाल लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और उससे उबरना भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है।' आपातकाल लगाए जाने के पीछे तीन नेताओं की भूमिका प्रमुख थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को नाको चने चबवा दिए थे। एक तरफ गुजरात और बिहार में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं का बड़ा आंदोलन चल रहा था जिसका नेतृत्व जय प्रकाश नारायण कर रहे थे, वहीं राज नारायण की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था। तीसरे नेता जार्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में देश का मजदूर सड़कों पर था और उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक रेल हड़ताल हुई थी। जिसने सरकार को पूरी तरह झुका दिया था। इन तीन नेताओं की वजह से सरकार मजबूर हुई कि देश में सभी संवैधानिक अधिकार लंबित कर दिए जाएं और राजनीतिक लोगों को नजर बंद कर दिया जाए।

इसी कारण इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी। राजनीतिक अस्थिरता और विरोध आंदोलन 1970 के दशक के मध्य में देश आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्याओं से जूझ रहा था। गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलनों ने सरकार के खिलाफ जन असंतोष को बढ़ाया। बिहार आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण (जेपी) कर रहे थे, जिन्होंने 'संपूर्ण क्रांति' का नारा दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसलाः 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट नेसमाजवादी नेता राजनारायण की चुनाव याचिका पर इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को चुनावी अनियमितताओं के आधार पर निरस्त कर दिया। इस फैसले ने उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया और विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी। जेपी ने लोकतांत्रिक जनआंदोलन का नेतृत्व किया, राजनारायण ने न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़कर इंदिरा गांधी की चुनावी वैधता को चुनौती दी, जबकि जॉर्ज फर्नांडिस ने श्रमिक और भूमिगत प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। इन तीनों नेताओं ने मिलकर आपातकाल के विरोध को राष्ट्रीय स्वरूप दिया और 1977 में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। जेपी आपातकाल विरोधी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे।उन्होंने 'संपूर्ण क्रांति' का नारा दिया और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया। बिहार और गुजरात के छात्र आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वरूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता से संघर्ष का आह्वान किया। आपातकाल लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वे लोकतंत्र की बहाली के प्रतीक बने रहे।

राजनारायण समाजवादी नेता थे और उन्होंने 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था।

चुनाव हारने के बाद उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की।

12 जून 1975 को अदालत ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया और उन्हें अयोग्य ठहराया।

इस फैसले ने देश में राजनीतिक संकट पैदा किया और इसे आपातकाल की घोषणा के प्रमुख कारणों में माना जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस प्रखर समाजवादी नेता और ट्रेड यूनियन नेता थे।1974 की ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल का नेतृत्व उन्होंने किया, जिसने केंद्र सरकार को चुनौती दी।आपातकाल के दौरान वे भूमिगत होकर सरकार के विरोध में सक्रिय रहे।

उन पर प्रसिद्ध बड़ौदा डायनामाइट केस में सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश का आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। हथकड़ियों में उनकी तस्वीर आपातकाल विरोधी संघर्ष का प्रतीक बन गई।

आपातकाल लगाते वक्त सरकार ने दावा किया कि देश में 'आंतरिक अशांति' की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी आधार पर आपातकाल घोषित किया गया।

आपातकाल के दौरान क्या हुआ?

प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई।

अनेक विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया।

नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए गए।

न्यायपालिका और मीडिया पर दबाव बढ़ा।

सरकार ने परिवार नियोजन और अन्य कार्यक्रमों को आक्रामक रूप से लागू किया।

गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर और मध्य प्रदेश में आरएसएस के सुदर्शन जी कुशाभाऊ ठाकरे सहित अन्य विपक्षी नेता शामिल थे। शाह आयोग और सरकारी अभिलेखों के अनुसार लगभग 34,988 लोगों को MISA के तहत बिना मुकदमे के बंदी बनाया गया था। इसके अतिरिक्त 75,818 लोगों को DIR/DISIR के तहत गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकार कुल गिरफ्तारियों की संख्या लगभग 1,10,000 से 1,11,000 के बीच मानी जाती है। इनमें विपक्षी नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता, छात्र नेता, पत्रकार, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता और अन्य नागरिक शामिल थे।

आपातकाल ने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या लोकतंत्र केवल चुनावों का नाम है या नागरिक स्वतंत्रताओं और संस्थागत संतुलन का भी महत्व है। इस अवधि में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता कमजोर कर दी गई।

हालाँकि, 1977 में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया और जनता ने मतदान के माध्यम से सत्ता परिवर्तन किया। जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। इसे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण माना जाता है कि जनता ने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन किया।

आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, सक्रिय मीडिया और नागरिक भागीदारी इसकी प्रमुख ताकतें हैं। वहीं लोकतंत्र के सामने कुछ चुनौतियाँ भी बनी हुई हैंः राजनीतिक ध्रुवीकरण फेक न्यूज और दुष्प्रचार संस्थाओं की स्वतंत्रता पर बहस चुनावी खर्च और राजनीतिक पारदर्शिता के प्रश्न हैं, फिर भी भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया निरंतर चल रही है और जनता मतदान के माध्यम से सरकारों को चुनती और बदलती है।

कैसे बना रूल ऑफ थंब

मुहावरों का उद्गम

राजीव अग्रवाल

लेखक भेल के पूर्व महाप्रबंधक हैं।

1400 के दशक में इंग्लैंड में एक कानून बनाया गया था जिसके अनुसार एक आदमी अपनी पत्नी को अपने अंगूठे से ज़्यादा मोटी छड़ी से नहीं पीट सकता था। इसलिए हमारे पास अंगूठे का नियम (रूल ऑफ द थंब) है।

कई साल पहले स्कॉटलैंड में एक नए खेल का आविष्कार किया गया था। इसे 'केवल सज्जनों के लिए, महिलाओं के लिए वर्जित' (जेंटलमेन ऑनली, लेडिस फार्बिडन) का नियम बनाया गया था और इस तरह गोल्फ़ (जीओएलएफ) शब्द अंग्रेजी भाषा में शामिल हो गया।

ताश के पत्तों के डेक में प्रत्येक राजा इतिहास के एक महान राजा का प्रतिनिधित्व करता है। हुकुम यानी राजा डेविड, पान यानी शारलेमेन, चिड़िया यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट और हीरे या ईंट यानी जूलियस सीज़र।

शेक्सपियर के समय में, गद्दे को रस्सियों से बिस्तर के फ्रेम पर सुरक्षित किया जाता था। जब आप रस्सियों को खींचते थे तो गद्दा कस जाता था, जिससे बिस्तर पर सोना ज़्यादा मज़बूत हो जाता था। इसलिए वाक्यांश 'शुभ रात्रि, अच्छी नींद लें (गुड नाइट, स्लीप टाइट) का सृजन हुआ

4,000 साल पहले बेबीलोन में यह प्रचलित प्रथा थी कि शादी के एक महीने बाद दुल्हन का पिता अपने दामाद को जितना हो सके उतना मीड पिलाता था। मीड एक शहद वाली बीयर है और क्योंकि उनका कैलेंडर चंद्र आधारित था, इसलिए इस अवधि को शहद का महीना कहा जाता था, जिसे आज हम हनीमून के नाम से जानते हैं।

अंग्रेजी पब में, एले को पिंट और क्वार्ट्स द्वारा ऑर्डर किया जाता है। इसलिए पुराने इंग्लैंड में, जब ग्राहक अनियंत्रित हो जाते थे, तो बार टेंडर उन पर चिल्लाता था 'अपने पिंट और क्वार्ट्स का ध्यान रखें, और शांत हो जाएँ।' यही वह जगह है जहाँ से हमें 'अपने पी और क्यू का ध्यान रखें' मुहावरा मिलता है।

कई साल पहले इंग्लैंड में, पब में अक्सर आने वाले लोग अपने चीनी मिट्टी कप के रिम या हैंडल में एक सीटी बनवाते थे। जब उन्हें रिफिल की ज़रूरत होती थी, तो वे कुछ सेवा पाने के लिए सीटी का इस्तेमाल करते थे। वेट यूअर व्हीसल मुहावरा इसी प्रथा से प्रेरित है।

1696 में, इंग्लैंड के विलियम तृतीय ने एक संपत्ति कर पेश किया, जिसके तहत 6 से अधिक खिड़कियों वाले घरों में रहने वालों को एक लेवी का भुगतान करना पड़ता था। कर से बचने के लिए, घर के मालिक 6 को छोड़कर सभी खिड़कियों को ईंट से बंद कर देते थे। (विंडो टैक्स 1851 तक चला, और ईंटों से बंद खिड़कियों वाले पुराने घर अभी भी इंग्लैंड में एक आम दृश्य हैं) चूंकि ईंटों से बंद खिड़कियों के कारण कुछ कमरों में सूरज की रोशनी नहीं आ पाती थी, इसलिए इस टैक्स को 'दिन के उजाले में डकैती' (डे लाइट रोबरी) कहा जाता था!

अब आपको इन वाक्यांशों की उत्पत्ति पता चल गई है। है न कितना रुचिकर। सोचिये हम अब तक कितनी पुरानी बातों का मर्म समझने के बजाय दकियानूसी श्रेणी में रख चुके हैं आधुनिकता के मद्देनज़र और यहीं हम गलती कर जाते हैं। कहावत है न ओल्ड एज गोल्ड और अधिकांश मामलों में यह सही साबित हो भी चुका है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

मृदुल कश्यप

लेखक व्यंग्यकार हैं।

युद्ध विराम से हौले-हौले शांति वार्ता तक

एक होता है युद्ध विराम। जिस प्रकार गुलाबजामुन में गुलाब और जामुन नही होता उसी प्रकार युद्धविराम में युद्ध का विराम नहीं होता। दरअसल इसमें युद्ध के विराम के अलावा सब कुछ होता है। इसमें धमकी होती है, चेतावनी होती है, तनातनी होती है, देख लूँगा होता है, बदला लेने की कसमें होती है, गंभीर परिणाम भुगतने की बाते होती है, मिसाइल होते है, ड्रोन होते है, याने युद्ध का कम्प्लीट पैकेज होता है, और तो और वार्ता भी होती है बस विराम नहीं होता।

दूसरी तरफ होती है शांति (समझौता)। जिस प्रकार युद्ध विराम बिंदास, टपोरी होता है तो इसके उलट शांति (समझौता) होती है बड़ी शर्मीली सी। छुई मुई सी। युद्ध विराम मुंह फट, बदतमीज टाइप का होता है वही शांति (समझौता) इतना लजाती है कि सबके सामने नहीं आती। घूँघट काडे बैठी रहती है। उसे जालिम दुनिया की नजरो से बचा कर सात पर्दे के पीछे रखा जाता है।

पिछले कई दिनों से छोटे गाँव - कस्बे से लेकर विश्व स्तर तक शांति पर चर्चा हो रही थी। पनवाड़ी से

लेकर फाइव स्टार होटल तक बातचीत में शांति छाई हुई थी । सब इंतजार कर रहे थे कि कब सबके सामने आएगी शांति। कब स्थापित होगी ।

अब शांति की स्थापना करना कोई हंसी खेल तो है नहीं। सबसे पहले इसके लिए गहन शांति रखना पड़ती है। फिर कमेटी का गठन कर दिया जाता है शांति के लिए उसके बाद बड़ी बड़ी बैठके करती है कमेटी। मीडिया से बचकर गोपनीय हवाई मीटिंग भी करती है । तो कई बार कोई सूचना योजनाबद्ध तरीके से लीक भी करवाती है कमेटी। खूब पापड़ बेलती है कमेटी शांति के लिए।

शांति स्थापना के विशेषज्ञो समझाते रहते है कि भय्ये शांति स्थापना के लिए डंडे का योगदान सबसे जरूरी है । बिना डंडे के कल्पना तक नहीं की जा सकती शांति की। शांति बेचारी निर्बल होती है । वह बेसहारा होती है। वह खुद अपने पैरो के बल खड़ी नहीं हो सकती। अतः उसे एक मजबूत सहारे की आवश्यकता होती है। सहारे के लिए डंडा मोस्ट सूटेबल रहता है। अगर एक बार डंडे का सही साट सपोर्ट मिल जाए तो शांति स्थापना में ज्यादा देर नहीं लगती । जिस प्रकार हौले हौले प्यार होता है वैसे है होते होते एक दिन हो ही जाता है शांति समझौता।

शांति की स्थापना के लिए सामान्यतः कपोत उड़ाए जाते है। शांति का कलर कोड़ वाईट है, एकदम झक सफ़ेद। इसलिए कबूतरों का रंग भी सफेद रखा जाता है। बंदरंगे कबूतरों के बस में नहीं है शांति की ठीक ठीक स्थापना कर पाना। इसलिए इसके लिए झक सफेद कबूतरों का चुनाव किया जाता है और उन्हें पहले से ही पकड़ कर मजबूत पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। फिर उन्हें नियत समय पर सम्मानीय अतिथि के हाथों में सम्मानपूर्वक सौपा जाता है। अतिथि मुस्कराते हुए पिंजरा खोलकर उन्हें उड़ा देता है। वे आकाश में उड़ने लगते है। बदरंगे कबूतर जमीन से यह तमाशा देखते रहते है। उसी क्षण कैमरे चमकते है, तालियों की गडगडाहट होती है और इसी के साथ यह मान लिया जाता है कि शांति की सफलतापूर्वक स्थापना हो गई है। सभी शांति की गहरी साँस लेते है। थोड़ी देर बाद बदरंग कबूतर भी आकाश में चक्कर काटने लगते है।

भारतीय फुटबॉल

अशोक श्रीवास्तव

भूतपूर्व सहायक अनुसन्धान अधिकारी, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली

क्या भारत भी करेगा फुटबॉल खिलाड़ियों का आयात?

2026 फीफा वर्ल्ड कप का एक दिलचस्प तथ्य यह है कि 48 टीमों में से केवल 8 देशों की पूरी टीम ऐसे खिलाड़ियों से बनी है जो उसी देश में जन्मे हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये 8 देश हैं सऊदी अरब,ऑस्ट्रिया,ब्राज़ील, कोलंबिया, चेक रिपब्लिक पनामा,साउथ अफ्रीका और स्वीडन। विश्व के अनेक देशों ने प्रवासी, दोहरी नागरिकता वाले अथवा प्राकृतिककृत खिलाड़ियों के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय टीमों को मजबूत बनाया है। कनाडा,पुर्तगाल मोरक्को,कतर और यूनाइटेड स्टेट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन देशों ने विविध पृष्ठभूमि वाले खिलाड़ियों को अवसर देकर अपनी टीमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाई है। एक और रोचक तथ्य यह है कि फ्रांस विश्व फुटबॉल का सबसे बड़ा 'टैलेंट एक्सपोर्टर' देश माना गया है। 2026 विश्व कप में 76 खिलाड़ी ऐसे हैं जो फ्रांस में जन्मे लेकिन अन्य देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें अल्जीरिया, हैती, डीआर कांगो और सेनेगल के लिए खेलने वाले खिलाड़ी बड़ी संख्या में हैं।

भारतीय फुटबॉल के महान खिलाड़ी सुनील छेत्री का यह कथन कि यदि भारत के बच्चे फुटबॉल को अपनाएँ, तो विश्व कप का सपना असंभव नहीं है। आज के वैश्विक फुटबॉल परिदृश्य में और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। फुटबॉल अब केवल एक खेल नहीं, बल्कि वैश्विक प्रवासन, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतीक बन चुका है।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिनका जन्म उस देश में नहीं हुआ जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह तथ्य बताता है कि आज राष्ट्रीयता और खेल प्रतिभा का संबंध पहले की अपेक्षा अधिक जटिल हो गया है। आधुनिक राष्ट्रीय टीमें केवल जन्मस्थान के आधार पर नहीं, बल्कि प्रवासन, नागरिकता, पारिवारिक विरासत और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर भी निर्मित हो रही हैं।

2026 फीफा वर्ल्ड कप का एक दिलचस्प तथ्य यह है कि 48 टीमों में से केवल 8 देशों की पूरी टीम ऐसे खिलाड़ियों से बनी है जो उसी देश में जन्मे हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये 8 देश हैं सऊदी अरब,ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कोलंबिया , चेक रिपब्लिक पनामा ,साउथ अफ्रीका, और स्वीडन। विश्व के अनेक देशों ने प्रवासी, दोहरी नागरिकता वाले अथवा प्राकृतिककृत खिलाड़ियों के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय टीमों को मजबूत बनाया है। कनाडा,पुर्तगाल मोरक्को,कतर और यूनाइटेड स्टेट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन देशों ने विविध पृष्ठभूमि वाले खिलाड़ियों को अवसर देकर अपनी टीमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाई है।

एक और रोचक तथ्य यह है कि फ्रांस विश्व फुटबॉल का सबसे बड़ा 'टैलेंट एक्सपोर्टर' देश माना गया है। 2026 विश्व कप में 76 खिलाड़ी ऐसे हैं जो फ्रांस में जन्मे लेकिन अन्य देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें अल्जीरिया, हैती, डीआर कांगो और सेनेगल के लिए खेलने वाले खिलाड़ी बड़ी संख्या में हैं।

पिछले दिनों से भारत में यह चर्चा है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष 'स्पोर्ट्स पासपोर्ट' अथवा नागरिकता संबंधी नीतियों पर विचार किया जा सकता है। यदि भविष्य में ऐसा होता है तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेगा कि क्या भारत भी अन्य देशों की तरह विदेशी मूल या प्रवासी भारतीय मूल के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में शामिल करेगा? यह एक नीतिगत विषय है, जिस पर गंभीर विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी। वैसे भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है इस कारण दूसरे देशो से खिलाड़िओ का आयात करने में संवैधानिक रुकावट है।

वास्तव में भारत की वास्तविक शक्ति केवल विदेशी प्रतिभा में नहीं, बल्कि अपने विशाल युवा आधार में निहित है। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है और यहां लाखों बच्चे स्वाभाविक रूप से फुटबॉल के प्रति आकर्षित हैं। आवश्यकता केवल उन्हें उचित प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और प्रतिस्पर्धात्मक अवसर उपलब्ध कराने की है।

भारत में फुटबॉल केवल एक खेल नहीं, बल्कि अनेक क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। विशेष रूप से मिजोरम,मणिपुर और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में फुटबॉल जनजीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहां फुटबॉल के प्रति उत्साह किसी त्योहार से कम नहीं दिखाई देता। अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इसी क्षेत्र से उभरकर सामने आए हैं।

इसी प्रकार झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में भी फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय है। सीमित संसाधनों के बावजूद यहां के युवा असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। आदिवासी समाज में फुटबॉल की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण इसकी सरलता है। इस खेल के लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती; एक गेंद और खुला मैदान ही पर्याप्त होता है। यही कारण है कि आर्थिक रूप से सीमित संसाधनों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी फुटबॉल ने अपनी मजबूत जड़ें जमा ली हैं।

मध्य प्रदेश का शहडोल शहर आज 'मिनी ब्राजील' के नाम से प्रसिद्ध है। शहडोल, ब्यौहारी, जयसिंहनगर और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में फुटबॉल केवल एक खेल नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। विश्व कप के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह और उत्सव का वातावरण दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ब्राजील की खेल शैली, रचनात्मकता और आक्रामक फुटबॉल उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करती है।

शहडोल की विशेषता यह है कि यहां फुटबॉल किसी सरकारी अभियान का परिणाम नहीं, बल्कि जन-संस्कृति का स्वाभाविक विस्तार है। यही कारण है कि इसे कई लोग 'भारतीय फुटबॉल की आत्मा' भी कहते हैं। यहां की मिट्टी में फुटबॉल के प्रति जो जुनून दिखाई देता है, वह यह सिद्ध करता है कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।

यदि भारत में फुटबॉल के दो सबसे विशिष्ट केंद्रों की चर्चा की जाए, तो एक ओर कलकत्ता है, जिसे भारतीय फुटबॉल की राजधानी कहा जाता है और कोलकाता की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। मोहन बाग़ान एथेलेटिक क्लब की 1911 की विजेता टीम को आज भी 'इम्मोरटल इलेवन ' (अमर ग्यारह) के नाम से याद किया जाता है। यह उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि इस टीम ने केवल एक फुटबॉल प्रतियोगिता नहीं जीती, बल्कि औपनिवेशिक काल में भारतीयों के आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना को भी नई दिशा दी। ब्रिटिश सेना की शक्तिशाली टीम को पराजित कर मोहन बागान ने यह संदेश दिया कि भारतीय किसी भी क्षेत्र में विदेशी प्रभुत्व को चुनौती देने में सक्षम हैं। इस ऐतिहासिक विजय ने फुटबॉल को राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया।

दूसरी ओर झारखंड और ओडिशा के आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां फुटबॉल मैदानों से अधिक लोगों के दिलों में बसता है। कोलकाता भारतीय फुटबॉल का संस्थागत चेहरा है, जबकि आदिवासी क्षेत्र उसकी आत्मा और जड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आज जब भारत 2030 के संभावित कॉमनवेल्थ खेल आयोजनों, और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की आकांक्षा और भविष्य के वैश्विक खेल मंचों की तैयारी कर रहा है, तब फुटबॉल को भी नई दृष्टि से देखने की आवश्यकता है और यह अत्यंत दुखद है कि कुछ समय पहले फुटबॉल में भारत की रैंकिंग 99वें स्थान पर थी, लेकिन आज हम 140 से भी निचले पायदान पर है। प्रवासी भारतीय मूल के खिलाड़ियों की भागीदारी, आधुनिक खेल नीतियां और अंतरराष्ट्रीय अनुभव निश्चित रूप से सहायक हो सकते हैं, लेकिन भारत की दीर्घकालिक सफलता का आधार उसके अपने गांवों, कस्बों और खेल मैदानों में तैयार होने वाली प्रतिभाएं ही होंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने 11 जून 2026 को नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में राज्यों से कहा कि 'भारत के 70 करोड़ युवा हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। हमें उनका इस्तेमाल अपने विकास में करना है' जब कुरासाओ (लगभग 2 लाख आबादी), केप वर्डे (लगभग 5.5 लाख आबादी), जॉर्डन (1.2 करोड़ आबादी) और उज़्बेकिस्तान (3.8 करोड़ आबादी) जैसे देश विश्व फुटबॉल में उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं, तो 145 करोड़ आबादी वाला भारत अभी तक फीफा विश्व कप में क्यों नहीं पहुँच पाया.?

अंततः भारत के लिए फुटबॉल का भविष्य किसी एक नीति या एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। यह करोड़ों ;युवाओं के सपने प्रशिक्षकों की मेहनत, खेल अवसंरचना और समाज के सामूहिक समर्थन पर आधारित होगा। यदि भारत अपने युवा खिलाड़ियों को सही अवसर प्रदान कर सके, तो वह दिन दूर नहीं जब भारतीय फुटबॉल भी विश्व मंच पर नई पहचान बनाएगा।

सामयिक

राजीव खंडेलवाल

(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, बैतूल सुधार न्यास)

प्रियंक खरगे की संघ से 'पंजीयन' की बेवजह पूछताछ'

मैंने प्रियंक खड़गे के पत्र को "बेवजह" इसलिए कहा कि "शताब्दी की दहलीज" की संघ की यात्रा में पंजीयन संबंधित प्रश्न ब्रिटिश शासन अथवा भारत सरकार ने कभी नहीं पूछा। जब संघ पर कांग्रेसी सरकारों ने प्रतिबंध लगाएं और तब भी नहीं, जब देश के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने संघ पर से "प्रतिबंध" हटाने के लिए कही गई "शर्तों" में "लिखित संविधान" तो मांगा, परंतु पंजीयन की शर्त न जोड़ी, न थोपी। ऐसी स्थिति में कम से कम पत्र लिखने के पूर्व अभी तक पंजीयन न पूछने की "गलती" खरगे को मान कर "खेद" तो व्यक्त करना चाहिये था। तभी यह "बेवजह पत्र वाजिब" ठहराया जा सकता है। यद्यपि इस पत्र में प्रियंक ने संघ की सार्वजनिक व समाज में महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकारा है। इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए, जो नहीं दी गई। पत्र की उल्लेखनीय बात "गोपनीयता" के साथ कार्य करने की बात को छोड़कर, "संघ" पर किसी भी प्रकार का "आरोप" न लगाना है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) (संघ) की स्थापना विजयादशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार ने ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू समाज को अनुशासित रूप से संगठित करने और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के सुपुत्र कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने 100 वें वर्षगांठ की बधाई देते हुए 13 जून 2026 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को एक खुला पत्र भेजकर 'संघ' से पंजीयन कानूनी स्थिति, वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही से जुड़े आठ प्रश्न उठाए। इस पत्र ने पुनः एक राजनीतिक और वैचारिक बहस को नई ऊर्जा दी है।

मैंने प्रियंक खड़गे के पत्र को "बेवजह" इसलिए कहा कि "शताब्दी की दहलीज" की संघ की यात्रा में पंजीयन संबंधित प्रश्न ब्रिटिश शासन अथवा भारत सरकार ने कभी नहीं पूछा। जब संघ पर कांग्रेसी सरकारों ने प्रतिबंध लगाएं और तब भी नहीं, जब देश के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने संघ पर से "प्रतिबंध" हटाने के लिए कही गई "शर्तों" में "लिखित संविधान" तो मांगा, परंतु पंजीयन की शर्त न जोड़ी, न थोपी। ऐसी स्थिति में कम से कम पत्र लिखने के पूर्व अभी तक पंजीयन न पूछने की "गलती" खरगे को मान कर "खेद" तो व्यक्त करना चाहिये था। तभी यह "बेवजह पत्र वाजिब" ठहराया जा सकता है। यद्यपि इस पत्र में प्रियंक ने संघ की सार्वजनिक व समाज में महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकारा है। इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए, जो नहीं दी गई। पत्र की उल्लेखनीय बात "गोपनीयता" के साथ कार्य करने की बात को छोड़कर, "संघ" पर किसी भी प्रकार का "आरोप" न लगाना है।

प्रियंक खड़गे का उक्त पत्र कहीं भोपाल के प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार का "सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।" की अनुक्रिया में तो नहीं? वस्तुतः प्रियंक को संघ का पंजीयन पूछने की बजाए गुरु दक्षिणा, "शाखा संचालन", विजयदशमी पर अस्त्रों के साथ गणवेश में जुलूस निकालना आदि गतिविधियां कानून के दायरे में होकर आवश्यक अनुमति के साथ हैं, कि नहीं, यह जानकारी लेने की ज्यादा आवश्यकता थी। तथापि "सोशल मीडिया" में अनेक अर्थहीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या संघ "कानून" से ऊपर है? उसे पंजीकृत क्यों नहीं होना चाहिए? विदेशों में रजिस्टर्ड है, तो फिर देश में क्यों नहीं? ऑडिट नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन न होने पर कोई जवाबदेही तय नहीं होगी? बदले की कार्रवाई, संघ कार्यालय की देशभर में अट्टहास करते विशाल भवन। संघ प्रमुख को "जेड प्लस" की सुरक्षा क्यों? आदि आदि। बदले की कार्रवाई की बजाए राजनैतिक उद्देश्यों से की गई कार्रवाई कहना ज्यादा उचित रहेगा। लोकतंत्र में प्रश्न पूछना "अपराध" नहीं और प्रत्युत्तर देना "पराजय" नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि "संघ" के संगठन का स्वरूप क्या है? और किसी संगठन के काम करने के बाबत हमारा संविधान व कानून क्या कहता है?

संघ के विचारों से आप पूर्णतः, अंशतः सहमत या असहमत हो सकते हैं। "आज" के संघ की कुछ नीति-रीति, प्रवृत्तियों से मैं भी असहज व हो जाता हूं। संघ स्वयं को एक राष्ट्रवादी संगठन मानता है। आप उसकी आलोचना इस आधार पर नहीं कर सकते कि संघ एक पंजीकृत संगठन नहीं है।"संघ शक्ति" का जवाब आलोचनाओं से नहीं, कार्यों से ही दिया जा सकता है। क्या किसी अन्य संगठन या राजनीतिक पार्टी ने "सरस्वती शिशु मंदिर" की तुलना में कोई दूसरा "देशव्यापी विकल्प" "प्रतिस्पधा मॉडल" शिक्षा के क्षेत्र में दिया है? अलग-अलग स्थानों पर अल्प संख्या में कुछ संस्थाएं जरूर कार्यरत ही है, लेकिन जरूरतों की पूर्ति नहीं करती हैं। "यही संघ शक्ति है।"'

संघ प्रमुख के अनुसार "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ" व्यक्तियों का समूह है, जो आयकर अधिनियम की धारा 2(31) के अंतर्गत Association of Person (एओपी) "व्यक्ति" की परिभाषा में आता है। आयकर विभाग ने भी विभिन्न कार्रवाइयों में "संघ" को यही माना है। संघ की आधारशिला "शाखा" है। कोई भी व्यक्ति संघ की शाखा में भाग लेकर स्वयंसेवक बनकर "सहकार" की भावना से काम करने वाला उन व्यक्तियों का समूह जिसे "संघ" कहा जाता है, से जुड़ जाता है। संघ की औपचारिक सदस्यता नहीं रखी गई है। देश का संविधान अथवा कोई भी कानून "व्यक्तियों के समूह" का पंजीयन करने के लिए बाध्य नहीं करता है। संघ का पंजीयन पूछने वाले लोग भूल जाते हैं कि जब संघ समाज के विभिन्न क्षेत्रों धार्मिक, सांस्कृतिक, छात्र, शिक्षा सेवा मजदूर किसान, महिला, वनवासी, आदि में काम करने धरातल पर उतरता है, तब उसके विभिन्न फ्रंट (अग्रिम/सहायक) संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी, विद्या भारती, भारत विकास परिषद, सेवा भारती, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ वनवासी कल्याण आश्रम आदि 33 अनुषांगिक संगठन, जिन्हें "संघ परिवार" कहा जाता है, वे सब एनजीओ, कंपनी, ट्रस्ट या समिति के रूप में मौजूद विभिन्न कानूनों के अंतर्गत पंजीयत है। इस प्रकार संघ के कार्यों की "कुंडली" कानून के सामने उपलब्ध है।

संघ प्रमुख ने संघ की संरचना पंजीयन इत्यादि के बाबत विभिन्न अवसरों पर निम्न बातें प्रमुख रूप से कही है, जिसमें ही प्रियंक खरगे के पत्र का जवाब भी शामिल है।

1. संघ व्यक्तियों का समूह है।
2. संघ की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी, जब ब्रिटिश शासन काल में पंजीयन की कोई जरूरत नहीं थी और स्वतंत्रता के बाद भी इसे अनिवार्य नहीं किया गया।
3. संघ ने 25 अनुच्छेदों वाला लिखित संविधान वर्ष 1950 में सरकार को सौंपा था।
4. संघ सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन है।
5. संघ पर सरकार द्वारा लगाया गया तीन बार का प्रतिबंध (1948, 1975 एवं 1992) स्वयं सरकार का मान्यता का प्रमाण है।
6. हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है। कई चीजें पंजीकृत नहीं होती। संघ भी उसी परंपरा में है।
7. संघ खुले आम काम करता है, शाखाएं सार्वजनिक स्थानों पर लगती हैं, कोई गुप्तता नहीं है।
8. "जवाब" देने की कोई आवश्यकता नहीं।
9. संघ समझने के लिए संघ के अंदर आने की आवश्यकता है।

तथापि संघ प्रमुख की हिंदू धर्म से तुलना सामयिक, विषयगत नहीं है, जिससे बचा जाना चाहिए था।

संघ के अपंजीकृत होने का कानूनी प्रभाव उस संगठन (संघ) के विरुद्ध न तो कोई दावा (Suit) किया सकता है और न ही उस संगठन को एक लीगल पर्सन (कानूनी व्यक्ति) जो एक इकाई (entity) होती है, की हैसियत से दावा करने का अधिकार होता है। स्पष्ट है, संघ संविधान के अंतर्गत कार्य करने वाला संगठन है, तभी तो उस पर कानून (प्रतिबंध के आदेश) निष्पादन हो पा रहा है। संघ की शाखा में शासकीय कर्मचारियों के भाग लेने पर भी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारें प्रतिबंध लगा चुकी है। कानून स्वैच्छिक पंजीयन की स्थिति स्वयं में अवैधता प्रदान नहीं करती है? प्रश्नकर्ता यह बतलाएं कि "संघ" को "किस कानून" के अंतर्गत पंजीयन लेना "अनिवार्य" है अथवा पंजीयन न लेने से किस कानून का उल्लंघन हुआ है और उस उल्लंघन के लिए "संघ" के विरुद्ध अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस बहस को राजनीतिक कटाक्ष से आगे बढ़कर संस्थागत जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता के व्यापक संदर्भ में देखना ज्यादा उचित और उपयोगी होगा।

दृष्टिकोण

राजेन्द्र जोशी

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

दलबदल की राजनीति, लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद और विधानसभाओं में भेजती है। मतदाता किसी उम्मीदवार को केवल उसके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर नहीं चुनते,बल्कि उसके राजनीतिक दल, विचारधारा और चुनावी वादों को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। ऐसे में जब कोई विधायक या सांसद अपने मूल दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है, तो यह केवल एक व्यक्ति का राजनीतिक निर्णय नहीं होता, बल्कि मतदाताओं के विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी आघात होता है। आज के समय में दलबदल की राजनीति भारतीय लोकतंत्र के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है।

दलबदल का अर्थ है कि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने चुनावी दल को छोड़कर किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में यह प्रवृत्ति नई नहीं है। वर्ष 1967 में हरियाणा के एक विधायक ने एक ही दिन में कई बार दल बदला था। तभी से आयाराम-गयाराम राजनीति का एक चर्चित मुहावरा बन गया। इसके बाद देश में अनेक अवसरों पर विधायकों और सांसदों द्वारा सत्ता या व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलने की घटनाएँ सामने आती रहीं,ऑर दल विशेष की सरकार कुछ ही दिनो मे दूसरे दल की सरकार हो गई ।

लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। जब कोई व्यक्ति किसी दल के टिकट पर चुनाव जीतता है, तो जनता उस दल की नीतियों और विचारधारा पर भरोसा जताती है। यदि चुनाव जीतने के बाद वही प्रतिनिधि किसी दूसरे दल में चला जाता है, तो वह जनता के विश्वास को ठेस पहुँचाता है। मतदाताओं ने जिस विचारधारा को समर्थन दिया थाए वह अचानक बदल जाती है और जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस करती है। इस प्रकार दलबदल जनादेश का अपमान माना जाना चाहिए।

अधिकांश मामलों में दलबदल का कारण वैचारिक मतभेद नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ होता है। मंत्री पद सत्ता का लाभ, आर्थिक हित या राजनीतिक भविष्य की चिंता जैसे कारणों से नेता अपना दल छोड़ देते हैं। यदि किसी जनप्रतिनिधि को वास्तव में अपने दल की नीतियों से असहमति है, तो नैतिक रूप से उसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और फिर जनता के बीच जाकर नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। नेता जनता से प्राप्त पद को बनाए रखते हुए केवल अपना राजनीतिक ठिकाना बदल लेते हैं, जो लोकतांत्रिक नैतिकता के विरुद्ध है।

दलबदल का एक बड़ा दुष्परिणाम राजनीतिक अस्थिरता है। कई राज्यों में निर्वाचित सरकारें केवल इसलिए गिर गईं क्योंकि कुछ विधायक दल बदलकर दूसरे पक्ष के साथ चले गए। इससे शासन व्यवस्था प्रभावित होती है, विकास कार्य बाधित होते हैं और प्रशासनिक निर्णयों में अनिश्चितता पैदा होती है। जनता ने जिस सरकार को पाँच वर्ष के लिए चुना होता है, वह बीच में ही गिर जाती है और राजनीतिक जोड़तोड़ का दौर शुरू हो जाता है। इससे लोकतंत्र की विश्वसनीयता कमजोर पड़ती है।

दलबदल की घटनाएँ राजनीति के प्रति जनता में निराशा भी पैदा करती हैं। जब लोग देखते हैं कि नेता चुनाव के समय एक विचारधारा की बात करते हैं और बाद में व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे दल में चले जाते हैं, तो राजनीति के प्रति उनका विश्वास कम होता है। युवाओं में यह धारणा बनती है कि राजनीति केवल अवसरवाद का खेल बन गई है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का विश्वास अत्यंत आवश्यक है, और दलबदल इस विश्वास को कमजोर करता है।

भारतीय संविधान में इस समस्या को रोकने के लिए 1985 में दसवीं अनुसूची के माध्यम से दलबदल विरोधी कानून लागू किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि निर्वाचित प्रतिनिधि मनमाने ढंग से दल न बदल सकें। बाद में इसमें संशोधन भी किए गए। फिर भी राजनीतिक दल और नेता कई बार कानूनी प्रावधानों की कमियों का लाभ उठाकर दलबदल को संभव बना लेते हैं। परिणामस्वरूप कानून होने के बावजूद यह प्रवृत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है।

कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि यदि किसी नेता को अपने दल की नीतियों से गंभीर असहमति हो तो उसे दल छोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता आवश्यक है और किसी व्यक्ति को जबरन किसी दल में बाँधकर नहीं रखा जा सकता। यह तर्क अपनी जगह सही है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब जनप्रतिनिधि बिना इस्तीफा दिए दल बदल लेते हैं। यदि कोई नेता वास्तव में सिद्धांतों के कारण दल छोड़ रहा है, तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देकर पुनः चुनाव लड़ना चाहिए। इससे जनता को यह तय करने का अवसर मिलेगा कि वह उसके निर्णय से सहमत है या नहीं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि दलबदल के विरुद्ध कानून को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। यदि कोई विधायक या सांसद अपना दल छोड़ता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त होनी चाहिए और उसे पुनः जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों को भी आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए ताकि नेताओं को अपनी बात रखने और असहमति व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर मिले। इससे अनावश्यक दलबदल की घटनाएँ कम हो सकती हैं।

कहा जा सकता है कि विधायकों और सांसदों द्वारा अपने मूल दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है। यह जनता के जनादेश, राजनीतिक नैतिकता और लोकतांत्रिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि विचारों की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को जनता के विश्वास और नैतिक जिम्मेदारी का भी सम्मान करना चाहिए। दलबदल की राजनीति अल्पकालिक राजनीतिक लाभ तो दे सकती हैए परंतु दीर्घकाल में यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दलबदल की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण और राजनीतिक नैतिकता का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है।

वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में दलबदल की बढ़ती घटनाएँ कई प्रश्न खड़े करती हैं। अनेक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुछ जनप्रतिनिधि केवल राजनीतिक लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों की कार्यवाही, राजनीतिक दबाव, भविष्य की अनिश्चितता या सत्ता से टकराव के भय के कारण भी अपने मूल दल का साथ छोड़ देते हैं। यदि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधि भय या दबाव के कारण राजनीतिक निर्णय लेने को विवश होता है तो उसने राजनीति छोड़ देनी चाहिये,या पद त्यागकर पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया मे भाग लेना चाहिये ।

भव्य- दिव्य शिव मंदिर भूमि पूजन समारोह में उमड़ी आस्था, श्रद्धालुओं का सैलाब

केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के आमंत्रण पर आदिवासियों के छोटे से गाँव कालीकिराय पधारे आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि महाराज

धार। धरमपुरी तहसील अंतर्गत आदिवासी अंचल के ग्राम कालीकिराय में प्रस्तावित भव्य शिव मंदिर के भूमि पूजन समारोह का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह के साथ गुरूवार को संपन्न हुआ। परम पूज्य श्री श्री 1008 निरंजन पीठाधीश्वर, आचार्य महामण्डलेश्वर डॉ. स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज के पावन सान्निध्य, आशीर्वाद एवं मंगलमय प्रेरणा से आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित हुए।

कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार एवं विधिवत पूजन-अर्चन के साथ किया गया। भूमि पूजन के दौरान संपूर्ण वातावरण हर-हर महादेव एवं जय श्रीराम के उद्घोषों से भक्तिमय हो उठा। संत-महात्माओं के सान्निध्य में मंदिर निर्माण के इस पावन कार्य की शुरुआत को क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस अवसर पर पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में सनातन धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सनातन संस्कृति केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मानव जीवन को सदाचार, सेवा, संस्कार एवं आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाने वाली जीवन पद्धति है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से धर्म, संस्कृति एवं भारतीय मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन हेतु सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

स्वामी जी ने अपने प्रवचन में कहा कि मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थान नहीं होता, बल्कि वह समाज को एक सूत्र में बांधने वाला आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। उन्होंने युवाओं से सनातन धर्म के आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उनके ओजस्वी एवं प्रेरक विचारों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को धर्म एवं संस्कृति के प्रति जागरूक और प्रेरित किया।

कार्यक्रम में महामण्डलेश्वर नरसिंहदास महाराज एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री तथा सांसद धार-महू सावित्री ठाकुर, धार विधायक नीना वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, संतजन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने मंदिर निर्माण के इस पुण्य कार्य को समाज की आस्था एवं एकता का प्रतीक बताते हुए इसे जनसहयोग से पूर्ण करने का संकल्प व्यक्त किया।

उपस्थित श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण हेतु तन, मन एवं धन से सहयोग का संकल्प लिया तथा भगवान भोलेनाथ से क्षेत्र की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

मांडू में पेयजल व्यवस्था और ट्रेंचिंग ग्राउंड का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, सुधार के निर्देश

धार। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने आज ऐतिहासिक नगरी मांडू का दौरा कर वहां की जनसुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से पेयजल व्यवस्था और ट्रेंचिंग ग्राउंड के संचालन का सघन निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पाया कि ट्रेंचिंग ग्राउंड खुला होने के कारण वहां अक्सर पशुओं का आवागमन लगा रहता है, जो गंदगी फैलाने के साथ-साथ अव्यवस्था का कारण बन रहा है। इस स्थिति पर असंतोष जताते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को ट्रेंचिंग ग्राउंड के चारों ओर बाउंड्री बनवाने के सख्त निर्देश दिए ताकि पशुओं के प्रवेश को पूरी तरह रोका जा सके और क्षेत्र में स्वच्छता बनी रहे।

कलेक्टर ने मांडू क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए नागरिकों को निर्बाध और शुद्ध पेयजल मिलना सुनिश्चित किया जाए। जहां भी पाइपलाइन या आपूर्ति में कोई तकनीकी समस्या हो, उसे तत्काल सुधारा जाए ताकि निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

कलेक्टर ने नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र की साफ-सफाई और जनहित की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार लाने के निर्देश दिए ताकि मांडू आने वाले पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी मांडू सहित अधिकारी उपस्थित रहे।

आपातकाल के 51वें वर्ष पर धार में लोकतंत्र सेनानियों का हुआ सम्मान

धार। कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के 51वें वर्ष के अवसर पर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती ने लोकतंत्र सेनानी पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीवल्लभ विजयवर्गीय तथा दिवंगत लोकतंत्र सेनानी के परिवार जनों का शाल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया ।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि इस

दौरान विधायक नीना वर्मा, भाजपा नेता डॉ शरद विजयवर्गीय, जिला महामंत्री देवेंद्र सोनोने ,मनीष प्रधान राजा भाउ भादाने, सोनू रघुवंशी ,आशुतोष विजयवर्गीय जसप्रीत सिंह डंग, नवदीप सिंह चौहान उपस्थित रहे।

लोकतंत्र सेनानियों ने साझा की आपबीती

लोकतंत्र सेनानी विक्रम वर्मा एवं श्रीवल्लभ विजयवर्गीय ने अपने संस्मरण साझा किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक था। उस दौर में पूरे देश में अराजकता का माहौल था। निर्दोष लोगों को बिना कारण जेलों में डाल दिया गया और उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। कई परिवार पूरी तरह उजड़ गए। स्थिति यह थी कि पूरा भारत एक अघोषित जेल में तब्दील हो गया था। उन्होंने यह भी याद किया कि उस कठिन समय में एक वर्ग ऐसा भी था जिसने जेल में बंद सेनानियों के परिवारों के भरण-पोषण में हर संभव मदद की।

भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती ने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने इन सेनानियों को 11 से 19 महीने तक जेल में बंद रखकर यातनाएं दीं। यदि उस समय ये लोकतंत्र के प्रहरी परिस्थितियों से समझौता कर लेते तो आज भाजपा इस स्थिति में नहीं होती। भाजपा आज इन्हीं सेनानियों की बदौलत मजबूती से खड़ी है।

धार में स्कूल वाहनों के विरुद्ध प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सात वाहन नियम विरुद्ध पाए गए

33 हजार रुपए का अर्थदंड

धार। जिले में स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा और सड़क परिवहन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा निरंतर सघन अभियान संचालित किए जा रहे हैं। परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर राजीव रंजन मीना के मार्गदर्शन में, बुधवार को अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की टीम द्वारा धामनोद क्षेत्र में स्कूल वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।

सघन जांच और नियमों का पालन

इस विशेष अभियान के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में संचालित लगभग 50 स्कूल वाहनों का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच दल द्वारा वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र, वैध परमिट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र और चालक के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई।

नियम उल्लंघन पर कार्यवाही

सघन जांच के दौरान 7 स्कूल वाहन निर्धारित मानकों एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत संचालित होते पाए गए। विभाग द्वारा इन वाहनों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए कुल 33 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई।

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी स्कूल संचालकों एवं वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखें और सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करें। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन संचालकों के विरुद्ध आगामी दिनों में भी इसी प्रकार की सख्त दंडात्मक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल वाहनों की स्थिति पर ध्यान दें और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर परिवहन विभाग को सूचना दे।

5 महीने में 2933 प्रसव, इसमें 1281 रेफर होकर आईं प्रसूताएं

जिला अस्पताल पर बढ़ रहा बोझ, बिगड़ रही व्यवस्थाएं

एस. द्विवेदी, बैतूल। जिला अस्पताल में वैसे ही चिकित्सकों की कमी बनी हुई है, ऊपर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से रेफर होकर आने वाले मरीजों के कारण व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ते जा रही है। खासकर सीएचसी से प्रसूताओं को रेफर करके जिला अस्पताल भेजा रहा है। विगत 5 माह के आंकड़ों पर नजर डाली जाये तो 5 माह में जिला अस्पताल में कुल 2933 प्रसव हुए, जिसमें से 1281 प्रसूताओं को गंभीर केस बताकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि जिले के 10 ब्लॉकों में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिलीवरी की सुविधाएं और प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद है, इसके बाद भी प्रसूताओं को रेफर किया जा रहा है। जहां इन प्रसूताओं की नार्मल डिलीवरी हो गई। दरअसल जिला अस्पताल में जिन प्रसूताओं को जटिलता बताकर रेफर किया जा रहा हैं उनमें से कई महिलाओं की नार्मल डिलीवरी होना सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने बीते पांच महीनों के रेफर आंकड़ों का जब अध्ययन किया, तो पता चला कि 18 से 20 प्रतिशत प्रसूताओं को जिला अस्पताल रेफर करने के महज तीन घंटे बाद ही नार्मल डिलीवरी हो गई। जबकि इन्हें गंभीर बताकर रेफर किया गया था। इस स्थिति के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका पर ही सवाल उठने लगे हैं।

जिला अस्पताल पर बढ़ रहा बोझ - जिला अस्पताल पर वैसे ही पूरे जिले का दायित्व है, ऊपर से प्रसूताओं को रेफर किया जा रहा है, जिसका सीधा असर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधे जिला अस्पताल रेफर कर दिया

जाता है। प्रसूता की स्थिति गंभीर बताकर उन्हें रेफर किया जा रहा है। बता दे कि उपस्वास्थ्य केंद्रों में प्राथमिक चिकित्सा तक से ग्रामीण महरूम हैं। कई उपस्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं, जहां पर्याप्त स्टाफ तक नहीं है और जहां हैं, ऐसे केंद्र मनमर्जी से संचालित हो रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक में बीएमओ के मौजूद रहने और करोड़ों खर्च करने के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं की बदत्तर स्थिति यह बताने के लिए काफी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और दूर दराज क्षेत्रों में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र सुविधा के नाम पर सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं और इसका सीधा नुकसान सरकार को हो रहा है।

डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल- जिला अस्पताल वैसे ही चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से रेफर होकर आने वाले मरीजों के कारण व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। खामियाजा एक ओर जहां डॉक्टरों और स्टाफ पर वर्क लोड बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ व्यवस्थाएं बिगड़ने के कारण मरीजों को भी परेशान होना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से प्रसूताओं को रेफर करने से जिला अस्पताल में काम का दबाव डॉक्टरों पर बेतहाशा बढ़ रहा है। इसके अलावा जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधि इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर रहे है। जानकारों का कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से रेफर होकर प्रसूताओं को जिला अस्पताल भेजने से कई बार प्रसूताओं की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। ऊपर से परिजनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

5 महीने में 2933 प्रसव, 2128 सामान्य-

जिला अस्पताल में पिछले पांच माह के भीतर करीब 2933 गर्भवती महिलाओं के प्रसव कराये गये है। इनमें 2128 महिलाओं को सामान्य प्रसव हुए है। जबकि 806 गर्भवती महिलाओं के सीजर से प्रसव किये गये। वहीं 1281 गर्भवती महिलाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से रेफर होकर जिला अस्पताल आई है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में जनवरी में 585, फरवरी 637, मार्च में 620, अप्रैल में 590 और मई माह में 501 डिलीवरी हुई है। जिसमें जनवरी में 438, फरवरी में 485, मार्च 451, अप्रैल 426 और मई में 328 सामान्य प्रसव कराये गये है। इसके अलावा सीजर से जनवरी 147, फरवरी 152, मार्च 169, अप्रैल 165 और मई में 173 प्रसव सीजर से हुए है।

जिला अस्पताल में विगत पांच में हुए प्रसव

माह	कुल प्रसव	रेफर इन
जनवरी	585	270
फरवरी	637	274
मार्च	620	241
अप्रैल	590	231
मई	501	265
योग	2933	1281

इनका कहना है -

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सीजर की व्यवस्था नहीं है, इसलिए प्रसव केस आने पर रेफर करना पड़ता है। फिर भी हम इसकी समीक्षा करके उचित समाधान निकालने का प्रयास जरूर करेंगे।

- मनोज हुरमाड़े,
सीएमएचओ, स्वास्थ्य विभाग जिला बैतूल

यह सही है कि काफी डिलीवरी के केस रेफर होकर आते है। फिर भी हम व्यवस्था बनाने का पूरा प्रयास करते है। इसके अलावा समय-समय पर बीएमओ से समीक्षा भी की जाती है। रेफर की जानकारी भी दी जाती है, ताकि जो कमियां है, उसमें सुधार लाया जा सके।

- डॉ. जगदीश घोरे,
सिविल सर्जन, जिला अस्पताल बैतूल

5 माह में 1281 प्रसूताएं रेफर होकर आई जिला अस्पताल

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 से मई 2026 तक सभी 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से 1281 प्रसूताओं को जिला अस्पताल रेफर किया है। इसमें जनवरी में 270, फरवरी में 274, मार्च 241, अप्रैल में 231 और मई में 265 प्रसूताओं को प्रसव के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूताओं की क्रिटिकल कंडीशन बताकर रेफर किया जा रहा है। जिससे कई बार प्रसूताओं की कंडीशन और अधिक खराब हो जाती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाली प्रसूताओं को इन केंद्रों में बेहतर इलाज दिए जाने की सारी सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं। इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

हिंदू साम्राज्य दिवस को लेकर नगर के समस्त 15 वार्डों में बैठकों का आयोजन

युवकों की भारी संख्या में भागीदारी

सोहागपुर। 27 जून को आयोजित होने वाली हिंदू साम्राज्य दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए नगर के समस्त वार्डों में बैठकों का आयोजन का दौर जारी है। हिन्दू साम्राज्य दिवस के लिए आयोजित बैठकों में युवकों की भारी संख्या में भागीदारी हो रही है। इसी संबंध में स्थानीय काली मंदिर परिसर में सकल हिंदू समाज की आयोजन समिति की वार्ड प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में अधिवक्ता शिव कुमार पटेल ने बताया कि कार्यक्रम के लिए सभी वार्डों में आमंत्रण पत्र बाटें जाएंगे। जिससे अधिक से अधिक हिंदू समाज के नागरिक एवं मातृशक्ति शोभायात्रा में सम्मिलित हो सके। शोभायात्रा काली मंदिर परिसर से निकाली जाएगी। बैठक में कई नागरिकों ने सुझाव दिए। बैठक में अधिवक्ता शिवकुमार पटेल,आयोजन समिति संयोजक रितेंद्र राजपूत,प्रभारी विशाल गोलानी,कोषाध्यक्ष राकेश पुरी गोस्वामी,अजय सोनी,पार्षद राकेश चौरसिया, गोलू अग्रवाल,भास्कर कहार, प्रशांत मालवीया, लकी तिवारी ,सागर रघुवंशी , अमित साहू नमन मालवीय बाबू मेहरा मनोज हालदार प्रकाश मंडल उत्तम ग्रामीण रूपेश रघुवंशी संजय मेहरा ऋषभ मालवीय,निलेश शर्मा, संजय रघुवंशी सौरभ कसेरा भरत तिवारी अनमोल खंडेलवाल, बसंत नामदेव ,अर्जुन कुशवाहा,गणेश अहिरवार, दिव्यांश मेहरा, आदर्श तिवारी,अनुराग, गौतम तोलानी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अधिवक्ता शिवकुमार पटेल, आयोजन समिति संयोजक रितेन्द्र राजपूत एवं प्रभारी विशाल गोलानी आदि सदस्यों ने नागरिकों से हिन्दू साम्राज्य दिवस की शोभायात्रा में सम्मिलित होने की अपील की है।

अयोध्या मंदिर में दान राशि गड़बड़ी को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा

सोहागपुर। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या में दान राशि के घोटाले को लेकर सकल हिंदू समाज के बेनर तले राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रेषित ज्ञापन तहसीलदार आर एस झरबड़े को प्रदान किया गया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ श्रीरा जन्म भूमि के लिए दान दिया था। दानदाताओं की भावनाओं के लिए इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आग्रह किया है। वहीं दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस

अवसर पर दीवान मंदिर के इन्द्र कुमार दीवान, कमलेश प्रजापति, कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष सुधीर ठाकुर, पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय, हरगोविंद पुरबिया, वकील प्रांजल तिवारी, गणेश अहिरवार, जिला जनपद पंचायत सदस्य दौलतराम पटेल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल, पार्षद भास्कर मांझी, पूर्व पार्षद मोहन कहार, वकील देवान्शु शर्मा,सेवादल के इरफान खान,सहित कई कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि इस ज्ञापन प्रदान के अवसर पर जहां कांग्रेसी जनों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। वहीं भाजपा एवं भाजपा समर्थकों ने इस ज्ञापन से दूरी बनाए रखी।

अटल उद्यान में सीएमओ ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर नपा कर्मियों से बनवाई नर्सरी, खुले स्थानों में होगा रोपण

सोहागपुर। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के नवाचार शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में मुख्य नगर पालिका अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा की पहल से नगर परिषद के अटल उद्यान में नर्सरी तैयार हो रही है। क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए सीएमओ ने नगर पालिका कर्मचारियों से नर्सरी में जामुन, पीपल, नीम , करंज जैसी कई किस्मों के पौधे तैयार करवाए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने बताया कि अधिक से अधिक पौधे नर्सरी में तैयार कराने के प्रयास किए जा रहे हैं । नर्सरी में करीबन हजार पौधे नगर परिषद तैयार कर लेती है। इतने पौधे हमें किसी अन्य नर्सरी अथवा विभाग से नहीं खरीदने होंगे। हम स्वयं अपनी देखरेख में बेहतर बीज एवं अच्छे अनुपात में देसी खाद का प्रयोग कर पौधे तैयार करा रहे हैं। इन पौधों को नर्सरी में ही रखकर पाला जाएगा। जब इन पौधों की ऊंचाई कुछ फीट तक हो जाएगी तो फिर इन्हें सुरक्षित एवं संरक्षित स्थान पर रोपित कराया जाएगा। नर्सरी में पौधों को तैयार करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य

यही है कि पौधे हमारी आंखों के सामने ही नर्सरी में कुछ अच्छी वृद्धि कर लेंगे तब इन्हें हम अच्छे स्थानों पर रोपने का काम करेंगे। जिससे यह धरती में अपनी जड़ जमा लेंगे और जल्दी ही वृक्षों के रूप में तब्दील हो जाएंगे। इसके प्रथम चरण में बीजों को सांचो में रोपकर छोटे पौधे तैयार करते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में उन्हें गमलों अथवा पैकेट में शिफ्ट किया जाता है। ऊंचाई में वृद्धि होने के उपरांत तीसरे चरण में उन्हें सुरक्षित स्थानों पर धरती में रोपने का काम करेंगे।

6 दिनों में बनाए 2500 सीड बॉल- सीएमओ धर्मेंद्र शर्मा ने नगर परिषद की कचरा प्रसंस्करण स्थल हीरापुर ट्रैचिंग ग्राउंड पर कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी सीड बॉल तैयार कराने के लिए लगाई थी। इसकी मॉनीटरिंग के लिए भी उन्होंने कर्मचारियों को ग्राउंड पर तैनात किया था। कचरा प्रसंस्करण स्थल हीरापुर ट्रैचिंग ग्राउंड पर मॉनिटरिंग कर रहे पवन दोहरे ने सीएमओ श्री शर्मा को बताया कि विगत 6 दिनों में दो कर्मचारियों द्वारा 2500 सीड बॉल द्वारा तैयार कर लिए गए हैं। इन्हें सुखाकर संरक्षित कर लिया गया है। आपने उक्त कर्मचारियों से अटल उद्यान में भी लगभग इतने ही सीड बॉल तैयार कराने के निर्देश दिए हैं। तैयार पौधे को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा।ताकी नगर के सौंदर्य को आर्कषित बनाया जा सके। आपने नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है।

स्मृति में लगेंगे पौधे - नपाध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल ने बताया कि उटल उद्यान में तैयार पौधों को महापुरूषों स्मृति में पौधारोपण करने के साथ उपहार में भी पौधे प्रदान करने की योजना है।

संक्षिप्त समाचार

फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराएं राजस्व अधिकारी: कलेक्टर

रायसेन (निप्र)। कलक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा ज्ञान भारतम् अभियान के तहत पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन, फॉर्मर रजिस्ट्री कार्य की प्रगति और राजस्व तथा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सभी एसडीएम से ज्ञान भारतम अभियान के तहत पांडुलिपियां अपलोड किए जाने की जानकारी लेते हुए कहा कि क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों, मंदिरों, संस्थाओं आदि से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध पांडुलिपियों को स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड कराएं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बताएं कि पाण्डुलिपियों का डिजिटलीकरण होने से उनकी मूल सामग्री सुरक्षित रह सकेगी। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने तहसीलवार फार्मर रजिस्ट्री कार्य की समीक्षा करते हुए सभी तहसीलदारों को शीघ्रता से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को नियमित मॉनटरिंग के लिए भी कहा। इसी प्रकार संबल योजना में पंजीयन के लंबित आवेदनों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया। इसी प्रकार अनुग्रह सहायता राशि के लंबित आवेदनों पर भी शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सीएम हेल्पलाईन तथा राजस्व प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शीघ्रता से निराकरण कराने के लिए कहा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखंडों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ आदि वीसी के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

पीटीजी वनरक्षक भर्ती वर्ष 2026 हेतु पैदल चाल का आयोजन

रायसेन (निप्र)। मंगलवार को रायसेन में वनमण्डलाधिकारी सामान्य रायसेन श्रीमती प्रतिभा शुक्ला के निर्देशन में प्रातः 05.30 बजे पैदल चाल का आयोजन किया गया। विशेष पिछड़ी आदिम जनजाति वर्ग (पीटीजी) वनरक्षक भर्ती वर्ष 2026 जिला रायसेन के अंतर्गत आयोजित इस पैदल चाल हेतु अभ्यर्थियों को वनमण्डल कार्यालय के सामने से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया तथा यह चाल वनमण्डल कार्यालय पर वापस समाप्त हुई। वनरक्षक के रिक्त 10 पदों के विरूद्ध 05 गुना अर्थात 50 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर बुलाया गया था, जिसमें प्रथम चरण हेतु 22 जुलाई 2026 को अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण एवं शारीरिक माप प्रक्रिया रखी गई थी। वनरक्षक भर्ती में पैदल चाल हेतु पुरूष अभ्यर्थियों को 25 किमी एवं महिला अभ्यर्थियों को 14 किमी की दूरी 04 घण्टे नियत की गई। पैदल चाल सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु विभिन्न अधिकारियों के पांच दल गठित किए गए। जीरो किमी से प्रारंभ किया जाकर 3.5 किमी, 7 किमी, 10 किमी एवं 12.5 किमी के प्वाइंट नियत किए गए। पैदल चाल में सम्मिलित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण/सुविधा हेतु जिला अस्पताल रायसेन से चिकित्सकों की एक टीम पूरे समय निर्धारित ट्रेक पर एम्बुलेंस के साथ मौजूद रही। वनरक्षक भर्ती वर्ष 2026 की पूरी प्रक्रिया में उपस्थित कुल 06 अभ्यर्थियों द्वारा भाग लेकर वनरक्षक भर्ती हेतु निर्धारित तीनों चरण सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए।

एडिप योजना के तहत गंज बासौदा में दिव्यांगजनों हेतु शिविर आयोजित

विदिशा (निप्र)। भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत नगरपालिका गंज बासौदा में दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 48 दिव्यांग हितग्राहियों का पंजीयन एवं परीक्षण कर उन्हें विभिन्न सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु चिन्हित किया गया। कुल 132 उपकरणों में कैलीपर्स, कृत्रिम अंग, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र (कान की मशीन), वॉकर, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल तथा एल्बो स्टिक सहित अन्य आवश्यक सहायक साधन शामिल हैं। शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और जीवन को अधिक सुगम बनाना है। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती शशि यादव , मुख्य नगरपालिका अधिकारी, एएलआईएमको उज्जैन से आए विशेषज्ञ दल तथा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों ने हितग्राहियों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की।

■ *राजस्व कार्यों को आसान बनाने के लिए करें एआई टूल्स का उपयोग*

राजस्व कार्यों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें, हितग्राही न हों परेशान: कलेक्टर

▸▸ किसानों को खाद के लिए न हो परेशानी, फॉर्मर आईडी निर्माण में लाएं तेजी - कलेक्टर

कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित राजस्व कार्यों, लंबित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन, भू-अर्जन, किसान हित से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही आगामी मोहर्रम पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाऐ रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमांकन, नामांतरण एवं बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार गंभीरता से निराकरण किया जाए तथा आमजन को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण करना प्रशासन का प्रमुख दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाएं, जिले को प्रदेश की रैंकिंग में शीर्ष 10 जिलों में बनाए रखे तथा नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। उन्होंने राजस्व कार्यों को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एआई आधारित तकनीकी उपकरणों के उपयोग पर भी विशेष जोर दिया।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। 15 जून की तुलना में 23 जून को समस्त राजस्व प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत 59.50 से बढ़कर 64.45 प्रतिशत हो गया है तथा प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जिला 11वें स्थान से सुधरकर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं सीमांकन प्रकरणों के निराकरण में 69.58 प्रतिशत से बढ़कर 78.84 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है तथा रैंकिंग 20 से सुधरकर 17 हो गई है। नामांतरण प्रकरणों में भी निराकरण प्रतिशत 51.55 से बढ़कर 55.34 प्रतिशत तथा बंटवारा प्रकरणों में 44.23 से बढ़कर 48.73 प्रतिशत हो गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि संभागीय स्तर पर सीहोर जिला राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। जिले का डिस्पोजल प्रतिशत 64.45 दर्ज किया गया है, जो संभाग के अन्य जिलों से बेहतर है। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाए और शिकायतकर्ताओं को संतुष्टिपूर्वक राहत प्रदान की जाए। किसानों से जुड़े विषयों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में खाद वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रहे। किसानों को खाद के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए निजी विक्रेताओं के साथ समन्वय बनाकर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा लगातार निगरानी रखी जाए।

उन्होंने सभी किसानों की फॉर्मर आईडी अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश भी दिए। भू-अर्जन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण तथा नागरिकों को समय पर लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। आगामी मोहर्रम पर्व को देखते हुए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को शांति समिति की बैठकें आयोजित करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा डीजे की तेज आवाज से होने वाली असुविधा और माहौल खराब होने की आशंका को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। सभी तहसील एवं जनपद स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

जिला विकास अधिकारी नाबार्ड ने महिलाओं के साथ चक्की चलाई और खुशहाली के गीत गाकर बढ़ाया उत्साह

विदिशा (निप्र)। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वित्तीय सहयोग से विदिशा जिले के ग्राम भटखेड़ी में महिलाओं के लिए संचालित एलईडीपी के अंतर्गत 10 दिवसीय प्रशिक्षण के प्रथम बैच का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन भोपाल स्थित संस्था सेंटर फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस (सीडा) द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से 30 महिलाओं को पत्थर की चक्की आधारित उद्यम के संचालन, मल्टी ग्रेन आटा, दाल, विभिन्न प्रकार के मसाले, बेसन तथा अन्य खाद्य उत्पादों के उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, आकर्षक पैकेजिंग और विपणन संबंधी व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समापन समारोह में नाबार्ड की उप महाप्रबंधक एवं जिला विकास प्रबंधक सुश्री जगप्रीत कौर साबरवाल एवं नाबार्ड के दो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, भारतीय स्टेट बैंक से श्री बीएस बघेल, अग्रणी जिला प्रबंधक , खामखेडा के शाखा प्रबंधक, श्री शिवपाल यादव सहित सीडा के निदेशक राजीव विश्वकर्मा, तकनिकी अधिकारी श्री अनूप तिवारी, कार्यक्रम सहायक श्री नितेश कुशवाहा, श्री मनीष कुशवाहा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली सभी महिलाओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लाएं गति, लापरवाही पर होगी सख्त कार्यवाही: कलेक्टर डॉ सोनवणे

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अविवादित नामांतरण के लंबित प्रकरणों की न्यायालयवार समीक्षा करते हुए भीमपुर तहसीलदार को विशेष ध्यान देकर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को अविवादित नामांतरण के मामलों में प्रगति लाने के लिए कहा। विवादित नामांतरण प्रकरणों में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर नायब तहसीलदार चोपना को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अविवादित बंटवारा प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर डॉ सोनवणे ने सभी राजस्व अधिकारियों को सुनवाई कर समान रूप से प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अविवादित बटवारा के प्रकरणों में आमला एवं मुलताई के तहसीलदारों को प्रगति बढ़ाने तथा कम प्रगति पर भीमपुर के नायब तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने सीमांकन, रास्ता चिन्हांकन एवं अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों की भी समीक्षा की तथा दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने साइबर तहसील की लंबित रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित करने, धारणाधिकार प्रकरणों में सभी एसडीएम को अभिमत सहित प्रकरण भेजने तथा भूमि आवंटन के मामलों का प्राथमिकता से निराकरण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राजस्व वसूली में भी प्रगति लाने पर जोर दिया। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद सहित सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।

सारिका घारू ने स्थानीय निकाय और विधानसभा मतदाता सूची का भ्रम किया दूर

सीहोर (निप्र)। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के तहत सीहोर जिले के ग्राम गुड़भेला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोग की ब्रांड एंबेसडर सारिका घारू ने इस जागरूकता अभियान की कमान संभाली। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक लोकसंगीत रहा।

स्थानीय भाषा में गीतों, 25 जून तक नाम जोड़ना, हम सबकी जिम्मेदारी जैसे आकर्षक चुनावी जिंगल्स के जरिए युवाओं और महिलाओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया समझाई गई। सारिका घारू ने नागरिकों का एक बड़ा भ्रम दूर करते हुए स्पष्ट किया कि लोकसभा या विधानसभा की मतदाता सूची और स्थानीय निकाय की सूची दोनों अलग-अलग होती हैं। जिन नागरिकों का नाम विधानसभा सूची में है, उन्हें भी पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए इस स्थानीय सूची में अपना नाम दोबारा जरूर जांचना चाहिए।

सारिका ने कहा कि जो युवा 01 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो चुके हैं, वे तुरंत अपना नाम जुड़वाएं। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम या पते की गलतियों को सुधारने के लिए आयोग द्वारा बढ़ाई गई 25 जून की अंतिम तिथि का लाभ उठाएं।

ग्राम पंचायत उमरिया में जनकल्याण शिविर आयोजित

विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएँ

▸▸ कई मामलों का मौके पर हुआ निराकरण

नर्मदापुरम (निप्र)। ग्राम पंचायत उमरिया में जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर में क्षेत्रीय विधायक श्री प्रेमशंकर वर्मा ने उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

शिविर के दौरान ग्रामीणों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं एवं मांगें प्रस्तुत की गईं। विधायक श्री वर्मा ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अनेक मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया तथा शेष प्रकरणों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जनकल्याण शिविर में शासन की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को प्रदान की गई। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराई गई। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं लाभों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान नर्मदा तट पर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संकल्प लिया।

सभी एसडीएम ग्रंथालय एवं धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर उपलब्ध पुरातन पांडुलिपियों को डिजिटिज करवाना सुनिश्चित करें : कलेक्टर सोमेश मिश्रा

सीएम हेल्पलाइन पर खराब प्रदर्शन करने पर कलेक्टर की सख्त कार्यवाही

▸▸ 7 दिवस के वेतन काटे जाने संबंधी नोटिस जारी किए जाने के दिए निर्देश

नर्मदापुरम (निप्र)। आयोजित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने जिले में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की स्थिति एवं विभागवार रैंकिंग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कई विभागों के खराब प्रदर्शन एवं कम वेटेज स्कोर पर उन्होंने गहन अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देशित किया कि जिन विभागों का वेटेज स्कोर 85 प्रतिशत से कम है तथा जो लगातार खराब रैंकिंग प्राप्त कर रहे हैं, उनके नोडल अधिकारियों को 7 दिवस के वेतन की राशि रेड क्रॉस सोसायटी में जमा कराने संबंधी नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में ऊर्जा विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम एवं जिला चिकित्सालय की खराब रैंकिंग तथा कम वेटेज स्कोर पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित नोडल अधिकारियों को 7 दिवस के वेतन की राशि रेड क्रॉस सोसायटी में जमा कराने संबंधी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, जिला शिक्षा केंद्र तथा ऐसे सभी बीएमओ, जिनकी रैंकिंग 'ए' श्रेणी से नीचे है अथवा जिन्होंने 90 प्रतिशत से कम वेटेज स्कोर प्राप्त किया है, उन्हें भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि भविष्य में यदि किसी विभाग का वेटेज स्कोर 90 प्रतिशत से कम रहता है अथवा वह प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त नहीं कर पाता है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहसील स्तर पर सीएम हेल्पलाइन की स्थिति की समीक्षा करते हुए भी कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन तहसीलों की रैंकिंग 'ए' श्रेणी से नीचे है, वहां के संबंधित तहसीलदारों को भी 7 दिवस के वेतन की राशि रेड क्रॉस सोसायटी में जमा कराने संबंधी नोटिस जारी किए जाए। बैठक के दौरान आरसीएमएस पोर्टल पर सीमांकन प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता पाए जाने पर कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों पर 2,000 रुपये की राशि रेड क्रॉस सोसायटी में जुर्माने के रूप में जमा कराने के निर्देश दिए।

साथ ही संबंधित एसडीएम को नोटिस जारी करने के निर्देश भी प्रदान किए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान पुराने ग्रंथालयों, धार्मिक स्थलों एवं संस्थाओं का निरीक्षण करें तथा वहां उपलब्ध हस्तलिखित पांडुलिपियों एवं ऐतिहासिक दस्तावेजों की पहचान कर उन्हें ज्ञान भारतम् एप के माध्यम से डिजिटाइज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने संभाग आयुक्त कार्यालय से प्राप्त समय-सीमा पत्रों के लंबित रहने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

ज्ञान भारत परियोजना के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए चलाएं विशेष अभियान

संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने भोपाल संभाग के सभी जिला कलेक्टर्स और जिला पंचायत सीईओ की ली बैठक

रायसेन (निप्र)। भोपाल संभाग के विभिन्न जिलों में प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलेगा। संभागायुक्त भोपाल श्री कर्मवीर शर्मा ने इस संबंध में गत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित भोपाल संभाग के सभी जिला कलेक्टर्स और जिला पंचायत सीईओ की बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में आगामी मोहर्रम त्यौहार के संदर्भ में कानून व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला स्तर से लेकर थाना स्तर तक शांति समितियों की बैठक अनिवार्य रूप से की जाए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित वीसी कक्ष में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे। संभागायुक्त श्री शर्मा को कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिले में विभिन्न योजनाओं तथा अभियानों के तहत किए जा रहे कार्यो से अवगत कराया। संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने संभाग में पांडुलिपियों की खोज और उनके डिजिटाइजेशन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ज्ञान भारत प्रोजेक्ट के तहत सभी पांडुलिपियों को डिजिटल स्वरूप प्रदान किया जाना है, ताकि इनका संरक्षण हो सके और हमारी ज्ञान परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक विस्तारित बनी रहे। श्री शर्मा ने बैठक में सभी कलेक्टरो को निर्देश दिए कि आगामी बोनी सीजन के पूर्व बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। खाद्य वितरण के लिए ई-विकास टोकन प्रणाली के तहत किसानों के रजिस्ट्रेशन कराये जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के प्रति गंभीर रहें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन शहरों में पीएनजी पहुँच गई हैं वहाँ उपभोक्ताओं को यह जरूर अवगत कराया जाये कि उन्हें पाइप लाइन आधारित गैस पर शिफ्ट होना है। श्री शर्मा ने बैठक में भारत सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए भू-अर्जन की समीक्षा भी की और सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे सभी भू-अर्जन की कार्रवाई समय-सीमा में पूर्ण करें। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों एवं प्रशासनिक विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने भोपाल संभाग के सभी जिलों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रत्येक जिले द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों एवं नवाचारों का तथ्यात्मक एवं प्रभावी प्रस्तुतीकरण तैयार किया जाए। बैठक में उन्होंने रात्रि चौपाल पर जोर दिया।

'छात्रों की गूंज' अभियान से उठी जवाबदेही की मांग

भोपाल (नप्र)। देश की शिक्षा व्यवस्था आज गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताएं, पेपर लीक, परीक्षा प्रबंधन की विफलताएं के खिलाफ और देश के युवा व छात्रों के प्रति जवाबदेही, सामर्थ्य और समानता को लेकर एनएसयूआई ने आज गुरुवार को भोपाल 'छात्रों की गूंज' अभियान का आगाज किया। अभियान में सांसद इमरान मसूद, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं एनएसयूआई के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अंशुल त्रिवेदी ने शिक्षा व्यवस्था की खामियों और छात्रों की समस्याओं को उठाया।

छात्रों ने शिक्षा प्राणियों की कमियों को किया उजागर – वार्ता में छात्रों ने स्वयं अपने अनुभव साझा करते हुए शिक्षा प्रणाली की गंभीर कमियों को उजागर किया। पन्ना जिले के छात्र लक्ष्य मिश्रा, जिन्होंने कक्षा 10वीं में 95.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ने बताया कि हिंदी विषय में उन्हें मात्र 60 अंक दिए गए थे। उत्तर पुस्तिका की जांच करवाने पर पता चला कि कई उत्तरों का मूल्यांकन ही नहीं किया गया था, जिससे उनके 17 अंक कम हो गए। पर्याप्त प्रमाण और सीबीएसई अधिकारियों से संपर्क के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। लक्ष्य ने कहा कि इस अन्याय के कारण वह मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रहे हैं तथा उनका परिवार भी गहरे चिंतित है। वहीं खंडवा की नीट अभ्यर्थी खुशी ने बताया कि उन्होंने दो वर्षों तक प्रतिदिन 12 से 14 घंटे कठिन परिश्रम किया और 450 से अधिक अंक प्राप्त कर

सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की उम्मीद कर रही थीं। लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में उत्पन्न विवादों और पुनः परीक्षा की स्थिति ने उनकी मेहनत और सपनों पर पानी फेर दिया। इधर इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था की खामियों की कीमत छात्र अपनी जान देकर चुका रहे हैं। एक ऐसे छात्र का उदाहरण दिया जिसने नीट परीक्षा से ठीक पहले आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जहां सरकार का शिक्षा बजट लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये है, वहीं छात्र और उनके परिवार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए परीक्षा प्रणाली के प्रत्येक चरण पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, परिवहन और परीक्षा केंद्रों का स्वतंत्र और सख्त ऑडिट कराने की आवश्यकता बताई। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश लंबे समय से परीक्षा घोटालों और भर्ती अनियमितताओं का केंद्र रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में पेपर लीक और परीक्षा घोटालों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, जिससे छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है।

40 दिनों तक 28 शहरों में व्यापक जनसंपर्क एवं जागरूकता अभियान

प्रेस वार्ता के दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अंशुल त्रिवेदी ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना भी प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत आगामी 40 दिनों तक 28 शहरों में व्यापक जनसंपर्क एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से छात्रों के मुद्दों को प्रत्यक्ष रूप से सुना और समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त पेपर लीक के खिलाफ और जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर इंदौर से भोपाल तक हजारों युवाओं की भागीदारी वाली एक विशाल साइकिल यात्रा आयोजित की जाएगी।

नेताओं ने घोषणा की कि 9 अगस्त, अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर देशभर के छात्र और युवा दिल्ली में एकत्रित होकर 'शिक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ' के संकल्प के साथ एक स्टूडेंट चार्टर जारी करेंगे। यह अभियान शिक्षा व्यवस्था में सुधार के तीन मूलभूत सिद्धांतों- जवाबदेही, सामर्थ्य और समानता पर आधारित होगा।

मप्र हाईकोर्ट में नियुक्ति की याचिका खारिज

● प्राइमरी टीचर के लिए डीएड की जगह बीएड डिग्री मान्य नहीं

जबलपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति साफ की है। अदालत ने संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-थर्ड (वर्ग-3) के पद पर नियुक्ति की मांग करने वाली एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए तय DEd योग्यता की जगह बीएड की डिग्री को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस आनंद सिंह बहरावत की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता सुधा गुप्ता द्वारा दायर उस याचिका को सिरे से नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने साल 2011 की पात्रता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की गुहार लगाई थी।

मेरिट लिस्ट में नाम होने से नहीं मिलता नियुक्ति का अधिकार- याचिकाकर्ता सुधा गुप्ता ने साल 2011 में आयोजित संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की पात्रता परीक्षा पास की थी। उन्होंने अदालत में तर्क दिया था कि उनके जैसे ही कई अन्य उम्मीदवारों को पिछले मामलों में राहत देते हुए नियुक्तियां दी गई हैं, इसलिए उन्हें भी पद मिलना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत अध्यापक कैडर नियमों का हवाला देते हुए पाया कि याचिकाकर्ता के पास बीएड की उच्च डिग्री तो है, लेकिन प्राथमिक स्तर के लिए अनिवार्य डीएड या डीएलएड की योग्यता नहीं है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना या मेरिट लिस्ट में जगह पा लेना ही नौकरी की गारंटी नहीं बन जाता। नियुक्ति पाने के लिए संबंधित पद के लिए सरकार द्वारा तय किए गए विशिष्ट शैक्षणिक नियमों और अहर्ताओं को पूरा करना बेहद जरूरी है। फैसले में कहा गया कि बीएड का कोर्स मुख्य रूप से अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। इसके विपरीत, डीएड और डीएलएड जैसे पाठ्यक्रम विशेष रूप से प्राथमिक यानी शुरुआती स्तर के बच्चों को पढ़ाने की कला सिखाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं।

दोनों डिग्री के शैक्षणिक उद्देश्य और प्रशिक्षण बिल्कुल अलग

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर विशेष ज़ोर दिया कि दोनों ही शैक्षणिक डिग्रियों के उद्देश्य और उनके प्रशिक्षण की प्रकृति में बड़ा अंतर है। प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चों की मानसिकता को समझने और उन्हें बुनियादी शिक्षा देने के लिए डीएड स्तर के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसे सेकेंडरी स्तर के बीएड कोर्स से नहीं बदला जा सकता। अदालत के इस सख्त रुख के बाद राज्य में चल रही अन्य शिक्षक भर्तियों में भी योग्यता संबंधी नियमों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।

सागर में जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा

● उप मुख्यमंत्री ने दिए विधानसभावार मॉनिटरिंग के निर्देश, पौधे बचाने वाली संस्थाएं होंगी पुरस्कृत ● हमारा लक्ष्य केवल पौधारोपण नहीं, बल्कि पौधों के वृक्ष बनने तक उनकी सुरक्षा करना है

भोपाल। मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जल गंगा संवर्धन अभियान की जिला स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा जल के अधिकतम संचयन हेतु फार्म पॉन्ड्स के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य केवल कार्यों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण, पर्यावरण-अनुकूल और लोकहितकारी कार्य सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी कार्यों की विधानसभावार मॉनिटरिंग करने और शेष बचे कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

पौधों के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन निकायों, संस्थाओं आदि द्वारा लगाए गए पौधे अगले वर्ष तक सर्वाधिक संख्या में जीवित और सुरक्षित रहेंगे, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाए जिससे संबंधितों को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा लक्ष्य केवल पौधारोपण नहीं, बल्कि पौधों के वृक्ष बनने तक उनकी सुरक्षा करना है।

खुरई विधायक श्री भूपेंद्र सिंह ने अवगत कराया कि खुरई में इस वर्ष एक दिन में 1 लाख पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों की सहभागिता रहती है। गत वर्ष भी वृहद पैमाने पर यह गतिविधि की गई थी जिसमें पौधारोपण करने वाले सभी व्यक्ति नियमित रूप से उनके द्वारा लगाए गए पौधों की फोटो अपलोड करते हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस पौधे को सही देखभाल मिल रही है। पौधों की एक गार्जियन की तरह सेवा और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है।

सागर विधायक श्री शैलेंद्र जैन ने शहरी क्षेत्र में रेनवाटर हार्वेस्टिंग को सक्रिय करने और लाखा बंजारा झील पर गंगा आरती के माध्यम से आई जन-जागरूकता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सागर नगर में भी उचित स्थान को देखते हुए करीब 25 हज़ार पौधारोपण का लक्ष्य लिया गया है।

देवरी विधायक श्री वृजबिहारी पटेरिया, बंडा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह लोधी ने भी उनके क्षेत्र ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए गए उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी दी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हीरा सिंह राजपूत ने जहां बाउंड्री नहीं है वहां रोपे गए पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री-गार्ड उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने अभियान के तहत विगत दो वर्षों में किए गए कार्यों की मॉनिटरिंग और गैप फिलिंग करने साथ ही अभियान के तहत आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के की बात कही। जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों का प्रेजेंटेशन देते हुए जिला पंचायत सीईओ श्री विवेक केवी ने बताया कि सागर जिला जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर चुका है और लगातार इसके तहत कार्य किए जा रहे हैं।

'सेफ क्लिक' अभियान के तहत प्रदेशभर के नव आरक्षकों को दिया जा रहा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण

मानव श्रृंखला बनाकर दिया जन-जागरूकता का संदेश

भोपाल (नप्र)। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित साइबर जागरूकता अभियान 'सेफ क्लिक 2.0' को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन में प्रशिक्षणरत नव आरक्षकों को 24 जून से 8 जुलाई 2026 तक साइबर अपराधों की रोकथाम एवं जन-जागरूकता संबंधी विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 637 नव आरक्षकों को राज्य साइबर पुलिस उज्जैन इकाई के विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा डिजिटल अरेस्ट, वित्तीय धोखाधड़ी (फाइनेंशियल फ्रॉड), ऑनलाइन ठगी तथा साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। नव आरक्षकों को साइबर अपराध होने की स्थिति में उपलब्ध सहायता तंत्र, साइबर सुरक्षा संबंधी सावधानियों एवं डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित उपयोग, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के प्रभावी उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणरत नव आरक्षकों ने मानव श्रृंखला बनाकर साइबर अपराधों के प्रति

जागरूक रहने तथा समाज को जागरूक करने का संदेश दिया।

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, राज्य साइबर पुलिस उज्जैन इकाई की पुलिस अधीक्षक श्रीमती लीना मारोठ, उप पुलिस अधीक्षक श्री नंदकिशोर मालवीय, श्रीमती शैलजा भदोरिया, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रहलाद घटिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संचालित 'सेफ क्लिक' अभियान के माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेशभर में विभिन्न प्रशिक्षण, जनसंवाद और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

करंट से युवक की मौत

चार घंटे तार पर लटका रहा शव, पुलिस पंचनामा कार्रवाई में जुटी रही, लाइनमैन मौके से भाग गए

भोपाल (नप्र)। भोपाल के बिलखिरिया क्षेत्र में बिजली लाइन पर काम करने के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने बिजली विभाग के दो कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लाइनमैन ने खुद काम करने के बजाय एक निजी युवक को खंभे पर चढ़ा दिया और बिजली सप्लाई बंद कराए बिना ही मरम्मत का काम शुरू करा दिया, जिससे उसकी जान चली गई। घटना रायसेन रोड स्थित बिलखिरिया क्षेत्र की है। मृतक की पहचान जितेंद्र कुशवाहा (22) पुत्र सेवाराम कुशवाहा निवासी बिलखिरिया के रूप में हुई है। वह इलेक्ट्रीशियन का काम करता था।

500 रुपए देने का दिया था लालच- मृतक के भाई बंटी कुशवाहा ने आरोप लगाया कि बुधवार शाम क्षेत्र में एक फेज की बिजली बंद होने की शिकायत मिली थी। शिकायत पर लाइनमैन आजाद ठाकुर और रिंकू राजपूत मौके पर पहुंचे थे।

कार के अंदर मिली युवक-युवती की लाश

घर से एक दिन पहले हुए थे दोनों लापता पढ़ाई के बाद साथ करते थे जॉब

अशोकनगर (नप्र)। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में एक कार के अंदर युवक-युवती की लाश मिली है। कार के अंदर खून फैला हुआ है। अटकलें हैं कि युवती की हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर की गई है। वहीं, युवकी की मौत गोली लगने से बताया जा रहा है।

देर रात मिली है लाश-मामला बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात 3 बजे की है। शहर के ईसागढ़ रोड स्थित महाना गांव में युवक-युवती का शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही अशोकनगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। इसके बाद आगे की जांच शुरू कर दी है।

आगे की सीट पर पड़े थे दोनों के शव- जीप के आगे की सीट पर युवक-युवती के शव पड़े थे। प्रारंभिक जांच में युवक के सिर में गोली लगने का निशान मिला है, जबकि युवती के शरीर पर व गले को रेतने के भी गहरे निशान मिले हैं। पुलिस को कार के अंदर से एक पिस्टल पेपर कटर भी बरामद हुआ है।

एक दिन पहले घर से हुए थे लापता- जानकारी के अनुसार, अशोकनगर निवासी युवक रितिक सोनी 26 साल और युवती मुस्कान जैन पुत्री विवेक जैन 24 साल जो एक दिन पहले अपने घर से लापता हुए थे। इसके बाद दोनों के परिवार दोनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मोबाइल लोकेशन से घटना स्थल पहुंची पुलिस

पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों की तलाश शुरू की गई। फिर पुलिस घटनास्थल तक पहुंची। अशोकनगर पुलिस ने देखा कि दोनों शव खून से सने हुए थे। इसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना मिलने पर पुलिस टीम महाना गांव के पास पहुंची, जहां जीप में दोनों शव मिले।

एक साथ दोनों करते थे जॉब

बताया जा रहा है कि दोनों युवक-युवती एक साथ पढ़ते थे। फिर एक साथ एक प्राइवेट कंपनी में दोनों जॉब करते थे। युवक का इंदौर में कार इंटीरियर से जुड़ा व्यापार था और 15 दिन पहले ही रितिक अशोकनगर आया था। घटना के बाद मृतक युवक के पिता ने मामले में दोनों की हत्या की आशंका जताई है ।

साहित्यकार मनोज जैन 'मधुर' को मिलेगा

अखिल भारतीय नारद मुनि सम्मान

भोपाल। समकालीन हिन्दी साहित्य के प्रतिष्ठित नवगीतकार, गीतकार, शिक्षाविद् एवं साहित्य-साधक मनोज जैन मधुर को मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्-साहित्य अकादमी द्वारा रू. 1 लाख रुपये की सम्मान राशि सहित प्रतिष्ठित अखिल भारतीय नारद मुनि सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा से साहित्य जगत में हर्ष का वातावरण है।

मनोज जैन मधुर ने गीत, नवगीत, दोहा, मुक्तक, बाल साहित्य, लघुकथा एवं संस्मरण सहित अनेक विधाओं में उल्लेखनीय सृजन किया है। उनका बाल काव्य-संग्रह बच्चे होते फूल से भी विशेष रूप से चर्चित रहा है। वर्ष 2024 में उन्हें आधुनिक हिन्दी काव्य की नवगीत विधा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम माहेश्वर तिवारी नवगीत सृजन सम्मान से भी अलंकृत किया गया था।

अकेले दुकान तक नहीं जाती थी मेरी बेटी, बड़वाह कैसे पहुंच गई

पिता बोले- नहीं कर सकती आत्महत्या

खरगोन (नप्र)। इंदौर की 20 वर्षीय नीट अभ्यर्थी निक्की यादव का शव खरगोन जिले में नर्मदा नदी से मिलने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार को छात्रा के परिजनों ने उसे आत्महत्या नहीं बल्कि अपहरण कर हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उसका मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया।

मां को आया था आखिरी कॉल- खरगोन पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा ने बताया कि लसूड़िया क्षेत्र निवासी निक्की यादव रविवार को महू स्थित परीक्षा केंद्र पर नीट परीक्षा देने गई थी। रात में उसने किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल फोन से अपनी मां को कॉल कर बताया था कि उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है और वह घर लौट रही है। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। जांच में उसकी अंतिम लोकेशन खरगोन जिले के बड़वाह क्षेत्र में मिली।

अगले दिन मिली डेड बॉडी

एसपी ने बताया कि सोमवार दोपहर करही थाना क्षेत्र के पितामली गांव के समीप नर्मदा नदी में एक युवती का शव मिलने की सूचना स्थानीय नाविकों और ग्राम चौकीदार ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और मर्ग कायम

कर जांच शुरू की। पहचान नहीं होने पर शव के फोटो सोशल मीडिया और आसपास के जिलों के थानों में प्रसारित किए गए। प्रारंभिक जांच में यह प्रतीत हुआ कि शव नदी में बहकर कुछ दूरी से यहां पहुंचा था। सोमवार देर रात इंदौर के भंवरकुआं थाने की मदद से मृतका की पहचान निक्की यादव के रूप में हुई। मंगलवार को उसके परिजन खरगोन पहुंचे और शव की शिनाख्त की।

आत्महत्या की संभावना

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर किसी प्रकार की चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं तथा प्रारंभिक रूप से मृत्यु डूबने से होना प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि संभवतः परीक्षा परिणाम को लेकर निराशा के कारण छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाया हो, लेकिन जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पढ़ाई में मेधावी थी निक्की- हालांकि निक्की के पिता रामचरण यादव ने इस संभावना को सिरे से खारिज किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश निवासी रामचरण यादव पिछले 25 वर्षों से इंदौर में अकाउंटेंसी का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने फोन पर परीक्षा खराब होने जैसी कोई बात नहीं कही थी। परीक्षा को लेकर उनकी कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि निक्की पढ़ाई में बेहद मेधावी थी। वह मेधावी छात्र योजना की टॉपर रही थी और दो बार नीट परीक्षा दे चुकी थी। इसके अलावा उसने वैकल्पिक रूप से एम्स की परीक्षा के लिए भी आवेदन किया था। रामचरण यादव ने कहा कि निक्की ने केवल इतना बताया था कि वह घर लौट रही है। बाद में उसका मोबाइल बंद हो गया। रात करीब साढ़े आठ बजे फोन दोबारा चालू हुआ, लेकिन उसने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया।